पंचम माला, खंड 65, अंक 1, सोम 5 ूबर, 1976/3 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth series, Vol. LXV, No. 1, Monday, October 25, 1976/Kartika 3, 1898 (Saka)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No ....

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[अठारहवाँ सत्र
Eighteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 15-9-92

5th Lok Sabha

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं
Vol. LXV Contains Nos. 1 to 11]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupes

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 25 अक्तूबर, 1976/3 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 1; Monday, October 25, 1976/Kartika 3; 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members . .	एक—नौ
सभा के अधिकारी	Officers of the House	दस
मंत्रिमंडल के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet Ministers of State and Deputy Ministers .	ग्यारह—तेरह
निधन सम्बन्धी उल्लेख— (सर्वश्री सुचेत सिंह, सुरेन्द्र मोहन घोष और तुलसीदास किलाचन्द)	Obituary References— (Deaths of Sarvashri Suchet Singh, Surendra Mohan Ghose and Tulsidas Kilachand) .	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—13
केन्द्रीय तथा अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Central and Other Societies (Regulation) Bill— As passed by Rajya Sabha . .	13
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	14
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1976–77 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1976-77— Statement presented	15
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1974–75 विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Excess Grants (Railways), 1974-75— Statement presented. . . .	15
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1976–77 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (General), 1976-77 Statement presented. . . .	15
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1976–77— विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Gujarat), 1976-77— . . Statement presented	15
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1976–77 विवरण प्रस्तुत किया गया	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1976-77 Statement presented	15

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
सभा के कार्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Business of the House	15—20
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	15-16, 19, 20
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	16
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	16-17
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	17-18
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	18
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	18
श्री इब्राहीम सुलैमान सैट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	18-19
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim.	19
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	19
श्री जम्बूवंत धोटे	Shri Jumbuwant Dhote	19
श्री एस० एल० सक्सेना	Shri S. L. Saksena	19
संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-Fourth Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider —	21-45
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	21-44
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	25-29
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	29-32
श्री ईरा सेझियान	Shri Era Sezhiyan	32-33
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	34-35
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagesan	35-37
डा० कैलास	Dr. Kailas	37
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla.	37-39
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	39-40
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	40-42
श्री कमला 'मधुकर'	Shri K.M. Madhukar	42
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	42
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	43-44
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	44-45
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	45

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री दी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री श्रा (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोज़फ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी; श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साम्भिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इस्लामुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० मांझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 25 अक्तूबर, 1976/3 कार्तिक, 1898 (शक)

Monday, October 25, 1976/Kartika 3, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सरदार सुचेत सिंह, श्री सुरेन्द्र मोहन घोष तथा श्री तुलसीदास किलाचन्द के दुखद निधन के बारे में सूचना देनी है। सरदार सुचेत सिंह संविधान सभा तथा अस्थायी संसद् के सदस्य थे। विधान मण्डल में आने से पहले उन्होंने कपूरथला राज्य में कई कार्यकारी तथा न्यायिक पदों पर काम किया था। उनका निधन 70 वर्ष की आयु में 31 अगस्त, 1976 को चण्डीगढ़ में हुआ।

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष संविधान सभा, अस्थायी संसद् तथा पहली लोक सभा के सदस्य थे। बाद में 1956–68 के दौरान वे राज्य सभा के सदस्य रहे। वे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के निकटतम सहयोगी थे। 1924 में उन्हें बर्मा में मांडले जेल भेजा गया और नेताजी के साथ वहां 1924 से 1927 तक कारावास में रहे। वह श्री अरविंद घोष तथा महात्मा गांधी के विचारों तथा कृत्यों से बहुत प्रभावित हुये और जीवन भर मानव एकता, जाति प्रणाली उन्मूलन तथा महिला उद्धार के लक्ष की पूर्ति के लिये प्रयास करते रहे। वे अपने संसदीय जीवन में 1950–52 के दौरान आवास समिति के अध्यक्ष रहे। वे राष्ट्रमंडलीय देशों के 10 वें संसदीय सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में गये। 7 सितम्बर, 1976 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनका निधन हुआ।

श्री तुलसीदास किलाचन्द पहली लोक सभा के सदस्य थे। वे बहुत ही सुसंस्कृत और मिलनसार व्यक्ति थे और सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से रुचि लेते थे। उन्होंने कई संसदीय समितियों में कार्य किया। वे एक विख्यात उद्योगपति थे और उनका कई औद्योगिक तथा बैंकिंग संस्थाओं से सम्बन्ध था। उन्होंने 1971 में जापान जाने वाले सरकारी व्यापार शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया और 1950-51 के दौरान वह भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के अध्यक्ष रहे। 21 अक्तूबर, 1976 को 70 वर्ष की आयु में अटलांटा (अमरीका) में उनका निधन हुआ।

हमें अपने इन मित्रों के दुख द निधन पर गहरा शोक है।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short while

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
विद्युत (प्रदाय) संशोधन अध्यादेश

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 8 अक्तूबर, 1976 को प्रख्यापित विद्युत् (प्रदाय) संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 13) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11361/76]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण दूसरा संशोधन नियमन, 1976 तथा तमिलनाडु गन्दी बस्ती (सुधार और सफाई) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

निर्माण और आवास मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) दूसरा संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1260 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11362/76]

(2) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु गन्दी बस्ती (सुधार और सफाई) अधिनियम, 1971 की धारा 70 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन :—

(एक) दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित एस० आर० ओ०/ए-214/76 जिसके द्वारा तमिलनाडु गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड (लाभप्रद उद्यम) नियम, 1972 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०/ए-225/76 में प्रकाशित तमिलनाडु गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड (लेखा संचालन प्रक्रिया) नियम, 1976।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11363/76]

पांचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974–79

योजना मंत्री (श्री शंकर घोष) : मैं पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974—79 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11364/76]

उद्योग विकास परिषद वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1975-76

के खाद्य पारिष्करण उद्योग विकास परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 11365/76]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) उन्नीसवां संशोधन विनियम 1976, जो दिनांक 31 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 782ङ में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सत्रहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 31 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 783ङ में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) अट्ठारवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 788ङ में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बीसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 789ङ में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) तेरहवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 790 ङ में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पन्द्रहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 791ङ में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) चौदहवां संशोधन विनियम, 1976 के जो दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1133 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1330 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) चौथा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 136 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) चौथा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1361 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) 25वां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1367 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) उन्नीसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1368 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) ग्यारहवां संशोधन विनिमय, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1369 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1370 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) तेईसवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 821ङ में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) इक्कीसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 822ङ में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) चौथा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1397 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–11366/76]

बम्बई लोक न्यास (गुजरात संशोधन) नियम, 1976, हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 28 अप्रैल 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 40 में कतिपय शुद्धियां करने सम्बन्धी अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई लोक

न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 84 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई लोक न्यास (गुजरात) (संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 15 जुलाई, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एच०/के०/34/वी पी टी/ नियम/ 20826/ ई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–11367/76]

(2) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 545(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 28 अप्रैल, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 40 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–11368/76]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत प्रतिवेदन

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(घ) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ङ) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(च) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छ) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ज) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(झ) सिन्डीकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ञ) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ट) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ठ) इंडियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ड) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ढ) इंडियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10959/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (23वां संशोधन) नियम, 1976, आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1976 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (23वां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1329 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11369/76]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 16 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 515 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11370/76]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 785 (ङ) जो दिनांक 3 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 1357 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 1358 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 812 (ङ) जो दिनांक 23 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 830 (ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11371/76]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 793 (ङ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और सा० सां० नि० 805 (ङ) जो दिनांक 16 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 818 (ङ) और 819 (ङ) जो दिनांक 25 सितम्बर; 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11372/76]

खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा एक सांख्याकीय विवरण ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 11373/76]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (तीसरा संशोधन) नियम, 1976, केन्द्रीय मत्स्य निगम के वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन, गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (पहला संशोधन) नियम, 1976 गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्सादन (मुआवजा बांड) (पहला संशोधन) नियम, 1976 आदि आदि

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 811 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11374/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लिमिटेड का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लिमिटेड का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(3) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11375/76]

(4) (एक) राष्ट्रपति द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन अधिनियम, 1969 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (पहला संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति जो दिनांक 13 नवम्बर, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच एम-75 / एम 232-डी ए आर-1071 वाई में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 11376/76]

(5) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्सादन अधिनियम, 1963 की धारा 28 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्सादन (मुआवजा बांड) (पहला संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति जो दिनांक 13 नवम्बर, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच एम-75/233-एम/जी एस ए-1073/134706-वाई में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11377/76]

(6) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11378/76]

नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976

परिवहन और नौवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) मैं श्री एच० एम० त्रिवेदी की ओर से नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि

(संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखगे जो दिनांक 21 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1233 में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11378/76]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, मैसर्स माता वैरा निधि के बारे में अधिसूचनायें, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रारूप आदेश और कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 1976

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना संख्या 20/4/76-आई जी सी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 17 जनवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 355 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10964/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रारुप आधसूचना संख्या 15/14/74—आई जी सी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उक्त अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 (1) के न लागू होने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11379/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1300 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा मैसर्स माता 'वैरा निधि लिमटेड कम्पनी को जिसका पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में है, निधि' के रूप में घोषित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11380/76]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रारूप आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी किया जाने वाला प्रारूप आदेश संख्या 33/19/76—सी० एल० iii जिसके द्वारा मैसर्स वैरिंटग हाउस सैक्सबी फ़ार्मर

लिमिटेड को अपने ऋण का भाग इक्वटी पूंजी में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है ।

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाला प्रारूप आदेश संख्या 33/39/76-सी० एल० III जिसके द्वारा मैसर्स माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को अपने ऋण का भाग इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11381/76]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड और इंडस्ट्रीयल कन्टेनर लिमिटेड समामेलन आदेश, 1976, जो दिनांक 12 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 542 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र जो दिनांक 6 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां० आ० 591 (ङ) (अंग्रजी संस्करण) और सां० आ० 592 (ङ) (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड और स्टील कन्टेनर लिमिटेड समामेलन आदेश, 1976 जो दिनांक 12 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 543 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र जो दिनांक 6 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसुचना संख्या सां० आं० 593 (ङ) (अंग्रेजी संस्करण) और सां० आ० 594 (ङ) (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 11382/76]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नं० 820 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11383/76]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 11384/76]

आयुध (संशोधन) नियम, 1976

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 1242 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या **एल० टी०** 11385/76]

पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल के कृषि उद्योग निगमों के कार्यकरण समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा तत्सम्बंधी विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(1) (एक) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड चण्डीगढ़ के 31 मई, 1973 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 11386/76]

(दो) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड चण्डीगढ के 31 मई, 1973 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11386/76]

(2) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11387/76]

(दो) आन्ध्रप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 30 जून 1973 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 11388/76]

(4) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड त्रिवेन्द्रम के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षितलेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11389/76]

(5) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (33) (दो) में उल्लखित दस्तावेज का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।)

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11389/76]

संघ सरकार के वर्ष 1974–75 के वित्त लेखे

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं संघ सरकार के वर्ष 1974–75 के वित्त लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये । संख्या एल० टी० 11390/76]

तम्बाकू बोड (संशोधन) नियम 1976 तथा व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (विश्वनाथ प्रताप सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां०नि० 1259 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1139/76]

(2) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 11392/76]

केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन) विधेयक

CENTRAL AND OTHER SOCIETIES (REGULATION) BILL,

महासचिव : मैं केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियों (विनियमन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति

Assent to Bills

महासचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये रूप में तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छः विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दिल्ली विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1976

(2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1976

(3) धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) निरसन विधेयक, 1976

(4) फ़ैक्टरी (संशोधन) विधेयक, 1976

(5) विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976

(6) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1976

मैं पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 19 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आन्तरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976

(2) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1976

(3) दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) विधेयक, 1976

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1976

(5) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1976

(6) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976

(7) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1976

(8) बर्न कम्पनी एण्ड इण्डियन स्टैण्डर्ड वेगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1976

(9) लक्ष्मीरतन एण्ड अथर्टन वैस्ट कॉटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1976

(10) संविधान (41वां संशोधन) विधेयक, 1976

(11) श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

(12) मेटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976

(13) संविधान की पंचम अनसूची (संशोधन) विधेयक, 1976

(14) केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक, 1976

(15) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1976

(16) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1976

(17) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1976

(18) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 1976

(19) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1976-77

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं वर्ष 1976-77 के बजट (रेल) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1974-75

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAY) 1974-75

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं वर्ष 1974-75 के बजट (रेल) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगो का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1976-77

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं 1976-77 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करती हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात), 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1976-77

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1976-77 के लिये गुजरात राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करती हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY), 1976-77

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1976-77 के लिये पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगो का एक विवरण प्रस्तुत करती हूं।

सभा के कार्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION *Re.* BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि चूंकि लोक सभा का वर्तमान सत्र संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1976 और कतिपय अपरिहार्य और आवश्यक सरकारी कार्य पर विचार करने हेतु बुलाया गया एक विशेष सत्र है, इसलिये इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य लिया जाये तथा कोई भी अन्य कार्य जैसे प्रश्न, ध्यान आकर्षण

गैर सरकारी सदस्यों का कोई अन्य कार्य सत्र के दौरान सभा में प्रस्तुत अथवा निष्पादित न किया जाये तथा इस विषय में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के सभी संगत नियमों को एतद्द्वारा उस सीमा तक निलम्बित किया जाता है ।"

इस बारे में मेरा एक संशोधन भी है, जो इस प्रकार है :

"परन्तु यदि संविधान संशोधन विधेयक के निष्पादन के बाद, यदि समय हो तो अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ध्यान आकर्षण तथा अल्पकालिक चर्चाओं की अनुमति; दे सकेंगे ।"

यह अत्यन्त विशेष सत्र संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिये बुलाया गया है । इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि सदस्य तथा मंत्रीगण इस विषय पर समुचित और गहन रूप से विचार कर सकें । यदि समय मिलेगा तो कुछ अन्य आवश्यक कार्यों को भी लिया जा सकेगा ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I oppose this motion. I move my amendment Nos. 1, 3 & 4.

The Minister of Parliamentary Affairs, while moving the motion, has argued that we have gathered here to consider the Constitution Amedrment Bill and that other matters cannot be taken up here. I agree that there amendments are vital. But the restrictions imposed by the Government on the normal working of the House are very bad. These are, in a way encroachment on the rights of the Members. After the last session, many important events like floods in Bihar, serious accidents in coal mines, rail accidents and air crash in Bombay took place. These important matters require early discussions in the House. The people of India want to know the views of the Parliament. At least 40 persons are reported to have been killed in Muzaffarnagar while protesting against the family planning drive. So, demand that short notice questions and calling attention rotices be allowed to be taken up in the House. These matters should be taken up not only on the last two days but also on other days.

The Hon. Speaker should stress on the Goverr.ment that these matters are taken up in the House.

With these words I hope that these amendments will be accepted

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हमने प्रस्ताव का विरोध किया है । अतएव इस पर पहले विचार किया जाना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) संसदीय प्रक्रिया यह है कि यदि किसी प्रस्ताव का कोई सदस्य विरोध करना चाहता है तो उसे इसके लिए वरीयता दी जानी चाहिए ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : श्री रघुरामैया द्वारा रखे गये संशोधन के कारण मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी ने प्रस्ताव का विरोध करने की इच्छा व्यक्त की है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी विरोध करने की सूचना दी है । मैं दोनों को अनुमति देता हूं ।

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) : मैं श्री रघुरामैया द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मेरी पार्टी का मत है कि संविधान संशोधन में सम्पूर्ण जनता को सम्बद्ध किया जाना चाहिए ।

लोकतन्त्रीय पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिये हम संविधान में व्यापक संशोधनों के पक्ष में हैं । परन्तु इस संशोधन का उद्देश्य इससे विपरीत है । इसीलिए सरकार इसे शीघ्रता से इसी संसद

में पारित करना चाहती है जब कि संसद को प्राप्त आदेश समाप्त हो गया है तथा हजारों संसद सदस्य तथा विधान सभाओं के सदस्य जेलों में हैं।

महत्वपूर्ण संविधानिक संशोधनों के लिये जन-समर्थन की आवश्यकता हैं।

जहां तक हाल ही में कांग्रेस दल द्वारा संविधान सभा बनाने की मांग का प्रश्न हैं यह केवल चुनावों को स्थागित करने का तरीका है। जनता का वास्तविक मत जानने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पदधति के आधार पर किया जाना चाहिये। संविधान के विभिन्न पहलुओं पर मुक्त चर्चा के लिये कम से कम छह महीने का समय दिया जाना चाहिये। आपात स्थिति समाप्त कर दी जाए, पूर्व सेंसरशिप हटा दी जाये सभी राजनीतिक बन्दियों को जिनमें ससंद सदस्य भी शामिल हैं रिहा कर दिया जाये तथा आंसुका भारत रक्षा निगम तथा प्रेस आक्षेपणीय सामग्री अधिनियम जैसे दमनकारी विधानों का निरसन किया जाये तथा चुनावों का निरीक्षण करने के लिये एक सर्वदलीय समिति बनाई जाये जिसे भ्रष्ट प्रक्रियाओं को रोकने तथा सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग के सम्बन्ध में नियम बनाने के सम्बन्ध में अधिकार दिये जाए।

मैं चाहता हूं कि संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक वापस ले लिया जाये और इसको सामान्य सत्र घोषित किया जाय। कुछ भी हो हमने इस संविधान संशोधन विधेयक पर वाद विवाद में भाग लेने से इन्कार कर दिया हैं। विरोध स्वरूप हम सभा का वहिष्कार कर रहे है।

(कुछ सदस्य सभा से उठ कर चले गये)

(Some Hon. Members left the House.)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : निम्न कारणों से मैं श्री रघुरामैया द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोंध करता हूं। हमें अभी अभी बताया गया है कि यह विशेष सत्र है। इस बारे में किसने और कब निर्णय लिया है ? न प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में और न संविधान में विशेष रुप से कोई ऐसी व्यवस्था हैं। हमें यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है इस बारे में कभी किसी व्यक्ति से परामर्श नहीं किया गया। विपक्ष को तो कभी विश्वास में लिया ही नहीं गया हैं। यह इस संसद और संसद के अधिकारों के प्रति निराशाजनक रवैया हैं।

हाल में घटी कुछ घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण तथा आवश्यक मामले उठे है। हम जहां कोई महीने बाद समवेत हो रहे हैं। देश की जनता का यह आशा करना स्वाभाविक ही हैं कि इन मामलों को यहां उठाया जायेगा और सरकार कोई व्यवस्था देगी और अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। यदि ऐसा नही किया गया तो यह संसद् किस लिये हैं। यदि केवल समय की ही बात हैं तो क्या कभी हम लोगों ने अतिरिक्त समय देने पर आपत्ति की हैं ? सभी प्रकार के गैर सरकारी कार्यो पर पाबन्दी का हम विरोध करते है।

उदाहरणार्थ प्रश्न काल को क्यों समाप्त किया गया हैं ? उसमें केवल एक घंटा ही लगता हैं। सभा कई महीनों के बाद समवेत हो रही हैं एतएव स्वाभावत : जनता अनेक मामलों पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहती हैं। किसी भी विषय पर चर्चा न करने का क्या अभिप्राय हैं। फिर यह संसद् किस लिये हैं ?

मुझे इस बाद के संशोधन से बिल्कुल सन्तोष नहीं हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने यह कह कर पेश किया हैं कि संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक का निपटारा करने के बाद यदि कुछ समय बचा तो अध्यक्ष महोदय अपनी इच्छा से इस सत्र में अन्तिम दो दिनों में ध्यानाकर्षण आदि प्रस्ताव पेश

करने की अनुमति दे सकते है । सदन को सभान्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं तथा सदस्यों के अधिकारों में इस तरह से हस्तक्षेप करने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये ।

जहां तक समाचार पत्रों द्वारा संसद् की कार्यवाही का प्रसारित किये जाने का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर किये जाने वाले भाषणों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने की अनुमति दी जायेगी ? क्योंकि सभी हाल ही में सेंसर को दिये गये अनुदेशों में गोष्ठियों और सम्मेलनों में हुई चर्चाओं को विस्तार से प्रकाशित करने की अनुमति दी गई हैं । यदि सेंसर ने इन सभी बातों के प्रकाशित करने की अनुमति दे दी हैं तो हम जानना चाहते है कि जो कुछ हम इस सदन में कहेंगे क्या उसे भी इसी तरह से प्रकाशित किया जायेगा या नहीं ? अतः सेंसर सम्बन्धी सभी निर्देश समाप्त किये जाय और समाचार पत्रो को एक दम स्वच्छन्द रूप से इन बातों को प्रकाशित करने दिया जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक के लिये कार्य मंत्रणा समिति से कोई भी परामर्श नहीं लिया गया । मुझे आशा थी कि अध्यक्ष महोदय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

मैं श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन का समर्थन करता हूं । अनेक प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए । हम आशा कर रहे थे कि मंत्रीगण बम्बई विमान दुर्घटना, खान दुर्घटना तथा देश भर में सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने तथा सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की पांचवीं किस्त के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे । परन्तु कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया । इन सभी विषयों पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में सबसे अधिक लोगों की नसबंदी की गई है । वहां 26,000 या उससे अधिक लोगो की नसबंदी की गयी है । फिर भी वहां ज़िलाधीश द्वारा गोली चलायी गयी । लगता है कुछ नौकरशाह परिवार नियोजन कार्यक्रम को असफल करना चाहते हैं । ऐसे अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जाये । वहां हुई दुर्घटना की जांच करायी जाये ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं आपात स्थिति और संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ यह अनुभव करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सदस्यो के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है । संसद् के सत्र के चालू होने पर देश भर की निगाहें वहां होने वाली कार्यवाही पर लगी रहती हैं । जन साधारण अन्तसंत्रावधि के दौरान हुई घटनाओ के बारे में जानना चाहते हैं । यदि उन्हें यहां उठाने की अनुमति नहीं दी जाती तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

उड़ीसा राज्य भयंकर सूखे से ग्रस्त है । हम इस सदन में राज्य के पूर्वी जिलों में विद्यमान सूखा स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं । इस विषय पर कम से कम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दो घंटे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, वह इस सत्र में पूरा ध्यान मुख्यतः संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा किये जाने पर केन्द्रित करने के

विरुद्ध नहीं है। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि गैर-सरकारी कार्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये। सत्र को एक या दो सप्ताह बढ़ा देने तथा सदन में गैर-सरकारी कार्यों पर चर्चा करने से कुछ नहीं बिगड़ जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और कैराना नगरो में जो कुछ हुआ है वह बहुत ही गम्भीर है। यद्यपि प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कोई जोरजबरदस्ती नहीं की जायेगी, अधिकारीगण उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। लगता है इन अधिकारियों का कोई षड़यंत्र है और वे अल्पसंख्यकों और सरकार के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियो को मुअत्तलि किया जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : इस विशेष सत्र के बुलाये जाने के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस देश के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व सत्र है। हम संविधान का संशोधन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन नहीं करता। हमें इस सत्र के दौरान इस विधेयक पर ही केन्द्रित होना चाहिए।

आज हम यहां किसी विशेष कार्य के लिये बैठे हैं। हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अन्य कार्यों के लिये पृथक् सत्र बुलाना चाहिए। अभी इसी विधेयक पर हमें अपने आपको केन्द्रित करना चाहिए। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह अपना बाद वाला संशोधन वापिस ले लें और केवल 44वें संशोधन पर चर्चा की जाये। मैं मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : श्री रघुरामैया से मेरा अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें। प्रजातंत्र तथा संसद् की प्रजातांत्रिक भावना बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि वह प्रधान मंत्री से सलाह-मशविरा करके अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : I support and welcome the 44th Amendment Bill. Only 44th amendment should be discussed in this special session. This is not merely an amendment in Constitution; but we are making a new Constitution. I, therefore, suggest that Constituent Assembly should be convened to consider the 44th amendment. I request that the resolution moved by Shri Ramavtar Shastri be adopted

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj) : A number of persons have been shot dead in my district. This matter should be discussed. It would have been better if 44th amendment is discussed after 2 or 3 days and other matters are discussed be taken now.

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामया) : खेद की बात है कि कुछ प्रतिपक्षी सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया है। मैं यह आश्वासन देता हूं कि हमारी इच्छा किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को रोकना नहीं है। प्रस्ताव में मंत्रियो को विवरण सभा-पटल पर रखने पर मनाही नहीं है। यदि कोई महत्वपूर्ण विषय हुआ तो उस पर भी चर्चा की जायेगी और इसके लिए सदन की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। जहां तक प्रश्न काल को निलम्बित करने का प्रश्न है, स्वयं प्रतिपक्षी दलों के अनुरोध पर सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रश्न काल कई बार निलम्बित किया गया है। अतः इस विशेष सत्र में यदि प्रश्न काल निलम्बित किया जाता है तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। संशोधन पास होने के बाद सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण विषय को उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन 1, 3 तथा 4 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 1, 3 & 4 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"बशर्ते कि संविधान संशोधन विधेयक के निस्पादन के बाद, यदि समय हो, तो अध्यक्ष अपने सविवेक से ध्यान आकर्षण तथा अल्पकालिक चर्चाओं की अनुमति दे सकेंगे "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि चूंकि लोक सभा का वर्तमान सत्र संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक, 1976 और कतिपय अपरिहार्य और आवश्यक सरकारी कार्य पर विचार करने हेतु बुलाया गया एक विशेष सत्र है, इसलिये इस सत्र के दौरान केवल सरकारी कार्य लिया जाये तथा कोई भी अन्य कार्य जैसे प्रश्न, ध्यान आकर्षण और गैर-सरकारी सदस्यों का कोई अन्य कार्य सत्र के दौरान सभा में प्रस्तुत अथवा निष्पादित न किया जाये तथा इस विषय मे लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के सभी संगत नियमों को एतद्द्वारा उस सीमा तक निलम्बित किया जाता है बशर्ते कि संविधान संशोधन विधेयक के निष्पादन के बाद, यदि समय हो, तो अध्यक्ष अपने सविवेक से ध्यान आकर्षण तथा अल्पकालिक चर्चाओं की अनुमति दे सकेंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस विधेयक पर चर्चा 1 नवम्बर तक समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि इसके बाद इसे राज्य सभा में मतदान के लिए भेजा जाना है जिसका सत्र तीन नवम्बर से शुरू होना है। अतः हम तीन दिन सामान्य चर्चा के लिए और 4 दिन खंडवार चर्चा तथा तृतीय वाचन के लिए नियत कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि शनिवार को भी सभा की बैठक हो और मध्याह्न भोजन अवकाश भी समाप्त कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन को यह स्वीकार है ?

कुछ माननीय सदस्य । जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम 44वें संशोधन पर चर्चा करेंगे।

संविधान (44वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" यह विधेयक सदन में 1 सितम्बर को पेश किया गया था। तबसे अब तक समाज के प्रायः सभी वर्गों ने संविधान संशोधन के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं संविधान संशोधन विधेयक में 59 खंड हैं लेकिन संशोधन केवल 7 या 8 ही है।

मैं इस समय विधेयक की मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। जब हम विधेयक पर विचार करेंगे, उस समय विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश के लोगों ने साम्राज्य वाद तथा विदेशी सत्ता को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। वर्ष 1931 में कराची कांग्रेस ने एक संकल्प पास करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति लाना है। संविधान सभा में पंडित नेहरू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि हमारा सबसे पहला कर्य संविधान बनाना, भूखे लोगों को भोजन देना तथा कपड़ा देना तथा प्रत्येक भारतीय को अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित होने का अवसर देना है। अब इस बात को 25 वर्ष हो गए हैं। हमें देखना चाहिए कि क्या वह उद्देश्य पूरा हो चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं हुआ तो उद्देश्य प्राप्ति में क्या रुकावटें हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, यह सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज है। यह लोगों की भावनाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतीक होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक क्रान्ति लाने के लिए आवश्यक संशोधन करने हेतु यह एक प्रभावशाली दस्तावेज होना चाहिए। यदि हम समझते हैं कि वर्तमान संविधान के कारण कुछ काठनाइयां हो रही है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। यही कारण है कि हमने संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया है। यह सच है कि गत 5 वर्षों में हमने संविधान में संशोधन किये हैं। और 24 वां तथा 25वां संशोधन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अस्थायी सरकार ने भी महसूस किया था कि संविधान में संशोधन करना होगा और पहला संशोधन किया भी गया था। गत चुनाव से पूर्व हमारे सामने 'प्रिवी पर्स' की समस्या आई, इसी प्रकार बक राष्ट्रीयकरण की समस्या आई। न्याय निर्णयों में भी कई परिवर्तन हुए। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही देश का कानून माना जाएगा। पर कई बार देखने में आया कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ही परस्पर विरोधी था। यह पता नही चल पाता था कि देश का कानून क्या है। वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तब हमने संविधान में 24वां संशोधन करके संसद् की सर्वोच्चया स्थापित की और यह प्रावधान किया कि संविधान में संशोधन करना संसद का सांविधिक अधिकार है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हमने संविधान में 25 वां संशोधन किया। लेकिन कठिनाई फिर भी दूर नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार मौलिक अधिकारों में तो परिवर्तन कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। हम नही जानते कि आधारभूत ढांचा क्या

[श्री एच० आर गोखले]

है । संविधान में संशोधन करने के लिए संसद् जिसे मुख्य आधार मानती है, वह यह है कि संविधान के किसी भी उपबन्ध में संसद् के सामने कोई भी बात रुकावट पैदा नहीं कर सकती ।

संविधान संशोधन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम इस बात पर पूरा जोर दे रहे हैं कि संसद् सर्वोच्च है तथा संविधान का संशोधन करने के सम्बन्ध में संसद के अधिकार असीमित हैं । संसद की इस सर्वोच्चता और प्रभुसत्ता को कार्यरूप देने के लिए हमने प्रस्ताव रखे हैं । एक खण्ड में हमने कहा है कि इस संशोधन के लागू होने पर कोई भी न्यायालय संविधान संशोधन की वैधता के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता ।

सभी वर्गों के लोगों ने हमसे इस संशोधन पर पर्याप्त चर्चा की है । अतः यह कहना कि विधेयक पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया, संगत नहीं है । जो ऐसा कहते हैं, उनके अपने स्वार्थ हैं और विचारधाराएं हैं । गत दो वर्षों में संविधान संशोधन पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है ।

मैं ऐसे प्रावधान का उल्लेख कर रहा था जिसके अनुसार सांविधिक संशोधन को चुनौती नहीं दी जासकती । सदन के सदस्य सभा के प्रतिनिधि है और जनता के प्रति उत्तरदायी है । इन सदस्यों में विधि विशेषज्ञ है । वे स्वयं सोच सकते हैं कि जो संशोधन सदन में पास करने हेतु लाया गया है, वह संवैधानिक है अथवा नहीं ।

हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धान्त भी हैं । हो सकता है कि इनमें भी संशोधन करने की आवश्यकता हो और ऐसे कई प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं । कोई भी कानून बनाते समय हमें नीति निदेशक सिद्धान्तों का ध्यान रखना पड़ता है, इनका एक विशेष महत्व होता है । यह भी कहा गया है कि नीति निदेशक सिद्धान्तों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । हो सकता है यह बात संगत हो अथवा असंगत । लेकिन समय आ गया है कि जब हमें इन नीति निदेशक सिद्धान्तों को समुचित बनाना होगा ।

लोगों का कहना है कि यदि नीति निदेशक सिद्धान्त कानून से निदेशक होने के लिए सक्षम नहीं हैं तो इनका व्यावहारिक महत्व ही समाप्त हो जाता है । मैंने अनुच्छेद 31ग में संशोधन करने के प्रस्ताव के समय ही स्पष्ट कर दिया था कि हमने केवल आर्थिक और सामाजिक पहलू को ध्यान में रखा है । हमने पहले ही कह दिया था कि 39-ख तथा ग निदेशक सिद्धान्तों में से हैं । यदि उनको लागू किया जाता है तो मौलिक अधिकार नीति निदेशक सिद्धान्तों से ऊपर नहीं माने जाएंगे । हमारा कहना यह है कि यदि हमें नीति निदेशक सिद्धान्तों को कार्यरुप देना है और ऐसा करने के कोई कानून बनाना है तो अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 में उल्लिखित मौलिक अधिकार इस मार्ग में अड़चन नहीं बनेंगे ।

गत माह मैं प्रतिपक्षी दलें तथा व्यक्तियों से मिला हूं । उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि इससे अल्प संख्यकें के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा । मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी आशंका निराधार है । उनके अधिकार भाग 3 में सुरक्षित हैं और प्रस्तावित नए अनुच्छेद से उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

कुछ ऐसे विधिविज्ञ लोग भी हैं जिन्होंने प्रस्तावना में किये जाने वाले संशोधन को पसन्द नहीं किया है । उन्होंने कहा है कि यह सही दिशा में सही कदम नहीं है परन्तु तथ्य तो यह है कि वह लोग यह नहीं समझ पाये हैं कि 'समाजवाद और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों के जोड़े जाने की विशेषता

क्या है। हमारा गणतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न है। यही कारण है कि हमारा विचार वर्तमान शब्दावली में "समाजवाद" और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ने का है। मैं इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर दूं कि यह केवल मात्र शब्दों का खिलवाड़ ही नहीं है। प्रस्तावना को समूचे संविधान की कुंजी समझा जाता है। आज तक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के जो उद्देश्य हमारे सामने रहे हैं, हम उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। अब उन्हें हम अपने संविधान के मुख्य अंग अर्थात् प्रस्तावना में स्थान दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो आलोचना की जा रही है उसका उद्देश्य केवल मुख्य विषय को ध्यान से ओझल करना है।

इसके उपरान्त हमारा विचार कर्तव्य सम्बन्धी एक नया अध्याय जोड़ने का है। व्यक्ति के लिये कर्तव्यों की व्यवस्था करने के महत्व को कम आंकना सर्वथा गलत बात है। इसकी व्यवस्था संविधान में किये जाने के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उनका महत्व बढ जायेगा। लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जायेंगे।

अनेक अन्य मामले भी है जिनके बारे में आलोचना की गई है। परन्तु तथ्य तो यह है कि उन पर अच्छी प्रकार से गौर नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ कुछ लोगों का कहना है कि हम न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को समाप्त करने जा रहे हैं। यह एक भ्रामक धारणा है। मैं यह स्पष्ट कर देना अपना दायित्व समझता हूं कि वर्तमान संशोधनों के किसी भी उपबन्ध के फलस्वरूप न्यायपालिका के दर्जे, गरिमा या स्वतन्त्रता को किसी प्रकार की आंच नहीं आयेगी। इसी प्रकार कुछ लोगों द्वारा यह आलोचना भी की गई है कि देश के संघीय ढ़ांचे के महत्व को कम किया जा रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। अभी भी हमारी संसद् के दो सदन हैं। अभी स्वतन्त्र विधान मण्डल युक्त राज्य है। हमारे यहां संघ और राज्यों के अधिकारों को विभाजित करके रखा गया है। अवशिष्ट अधिकारों को संघ के पास ही रखा गया है। हमारे यहां संघीय ढांचे की सभी बुनियादी विशेषतायें विद्यमान हैं। वर्तमान संशोधनों में किसी भी इस प्रकार के उपबन्ध को नहीं छुआ गया है।

कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा गया है कि वर्तमान संशोधनों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कुछ अधिकारों को कम किया जा राहा है। यह आलोचना तथ्यों से कहीं भिन्न है। वस्तु स्थिति तो यह है कि उनके अधिकारों में कुछ वृद्धि की जा रही है। अभी मैं इस बात की विस्तृत व्याख्या नहीं करना चाहता कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के अधिकारों में क्या वृद्धि की जा रही है। कुछ मामलों में जहां पहले निचली अदालतों में जाना पड़ता था, अब सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति से उसे बड़े न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख भी करना चाहूंगा। उदाहरणार्थ यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करने का उपबन्ध किया जा रहा है। यह बिल्कुल असत्य बात है। हम किसी भी व्यक्ति को संविधान में संशोधन करने का निर्बाध अधिकार नहीं दे सकते। संविधान के मूल अनुच्छेद 392 में ऐसा उपबन्ध किया गया है। यह सब कुछ वर्तमान संशोधनों के बारे में भ्रामक धारणायें फैलाने के लिये किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक बातें कही गई हैं। मैं अभी उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु मैं सदन को यह याद दिला देना चाहता हूं कि जिस समय हमारे संविधान की

[श्री एच० आर० गोखले]

रचना की जा रही थी उस समय भी इस प्रश्न पर काफी विचार-विमर्श हुआ था कि क्या मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक सिद्धान्तों को प्राथमिकता प्रदान की जाये तथा हमारे संविधानिक सलाहकार श्री बी० एन० राव की मान्यता उस समय भी यही थी कि मूल अधिकारों को निदेशक सिद्धान्तों की तुलना में प्रधानता प्रदान न की जाये । अब अपने अनुभव के आधार पर पुनः हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संविधान में निदेशक सिद्धान्तों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये तथा इसीलिये उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संशोधन का उपबन्ध किया गया है । हमें आशा है कि इस संशोधन को करने के उपरान्त हम अपने आर्थिक-समाजवादी लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेंगे ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराज गंज) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री गोखले के तर्क सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सदन को प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने का अधिकार नहीं है । यह कार्य संविधान सभा को सौंपा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: सक्षमता या संवैधानिकता के प्रश्न को 'व्यवस्था ' के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता । इसका निर्णय करने का काम अध्यक्ष का नहीं अपितु सदन का है । प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाये ।"

मुझे दो संशोधनों की सूचना दी गई है । एक श्री शिब्बनलाल सक्सेना का है तथा दूसरा श्री मूल चन्द डागा का । वह अपने संशोधन प्रस्तुत करें ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को 30 नवम्बर, 1976 तक के लिये परिचालित किया जाये ताकि उसके बारे में जनमत को जाना जा सके ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> कि विधेयक राज्य सभा की सहमति से सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 46 सदस्य (लोक सभा से 31 और राज्य सभा से 15) हों । लोक सभा के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—
>
> (1) डा० हेनरी आस्टिन
>
> (2) श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
>
> (3) श्री सतपाल कपूर
>
> (4) श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
>
> (5) श्री सोमनाथ चटर्जी :
>
> (6) श्री एच० आर० गोखले
>
> (7) श्री बी० के दास चौधरी
>
> (8) श्री जांबुवंत धोटे :

(9) श्री वसन्त साठे

(10) श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

(11) श्री एन० ई० होरो

(12) श्रीमती माया राय

(13) श्री राम रतन शर्मा

(14) श्री दिनेश जोरदर

(15) श्री विभूति मिश्र

(16) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(17) श्री मूल चन्द डागा

(18) श्री ओ० वी० अलगेशन

(19) श्री अजीज इमाम

(20) श्री राम कंवार

(21) श्री टी० बालकृष्णैया

(22) श्री डी० वासुमतारी

(23) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित

(24) श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी

(25) श्री रामसिंह भाई

(26) श्री भोगेन्द्र झा

(27) श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक

(28) श्री शिब्बन लाल सक्सेना

(29) श्री वी० आर० शुक्ल

(30) श्री शंकर राव सावंत

(31) श्री राम सहाय पांडे

लोक सभा के जिन सदस्यों के नाम मैंने दिये हैं, उनकी अनुमति मैंने पहले से ले ली है। संयुक्त समिति को अपना प्रतिवेदन जनवरी, 1977 के अन्त तक प्रस्तुत कर देना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जहां तक इस संशोधक विधेयक के मुख्य उद्देश्य का सम्बन्ध है हमारा उससे कोई विवाद नहीं है। वास्तव में हमारा दल काफी समय से मांग कर रहा है कि संविधान में आमूल परिवर्तन किये जायें ताकि जन साधारण के हित में सामाजिक-एवं-आर्थिक सुधार किये जा सकें और ऐसे सुधार लाने में जो बाधायें हैं उन्हें दूर किया जा सके। इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का हम स्वागत करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इस विधेयक को लाने के पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। तर्क दिया गया है कि यह संसद अपनी अवधि पूरी कर चुकी है और इसलिए इसे संविधान में संशोधन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि यह संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। एक अन्य

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

तर्क यह दिया गया है कि संविधान में आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है । इस प्रयोजन । र्थ इस संसद की नहीं, अपितु एक संविधान सभा की आवश्यकता है ।

निश्चय ही दोनों प्रकार के तर्कों में कुछ त्रुटि है । कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं जबकि कुछ अन्य लोग दूसरे तर्क का समर्थन करते हैं ।

जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है जो यह कहते हैं कि इस संसद ने जनता का विश्वास खो दिया है और इसे कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि इसकी अवधि एक वर्ष बढ़ाई गई है, यह प्रोपेगेंडा करने का एक तरीका है । हमारे दल ने कहा है कि इस संसद की अवधि और नहीं बढ़ाई जायेगी । हम इसका विरोध करते हैं । हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अब चुनाव चाहते हैं । जब एक वर्ष की अवधि बढाई जा रही थी तो उस समय हमने कहा था कि हम इसलिये सहमत हो रहे हैं कि इस अवधि में 20–सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जा सके । हम देश में समूचे वातावरण को शुद्ध बनाने के लिये पवित्तन चाहते हैं । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विस्तारित संसद किसी भी तरह असंवैधानिक नहीं है क्योंकि संसद को एक बार में अपनी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है ।

हम प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से सहमत हैं कि संविधान का संशोधन करने का इस संसद का अधिकार सर्वोच्च है और इसके लिये संविधान सभा की तब तक कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को बदला नहीं जाये । कुछ लोग यह रट लगा रहे हैं कि देश में राष्ट्रपतीय शासन होना चाहिये, राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुना जाना चाहिये । इस प्रकार की प्रणाली से निश्चय ही हंसद की प्रभुसत्ता समाप्त हो जायेगी । यदि कोई व्यक्ति इस प्रणाली को बदलने के लिये सोच रहा है और इस कारण यदि कोई आदमी यह प्रचार करता है कि संविधान में आमूल परिवर्तन करने के लिये एक संविधान सभा बुलाई जाये तो यह बहुत गलत और खतरनाक बात होगी । अत: सरकार ने इस विधेयक पर विचार किये जाने का सही निर्णय लिया है जो संसद की प्रभुसत्ता का द्योतक है ।

हम इस विधेयक के घोषित उद्देश्यों से पूर्णतया सहमत हैं । परन्तु समझ में नहीं आता कि संविधान में संशोधनों के नाम पर बहुत सी ऐसी बातें, जो इन उद्देश्यों और कारणों से सम्बन्धित नहीं है, इस विधेयक में जोड़ दी गई हैं । हम उनमें से कई बातों का समर्थन नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

Depty Speaker in the chair.

जहां तक विधेयक की मुख्य बातों का सम्बन्ध है, प्रस्तावना में प्रस्तावित परिवर्तन का स्वागत है । यह हमारे मन्तव्यों का घोषणापत्र है जिसके लिये हमें काम करना चाहिये । हमारे संविधान की प्रस्तावना में "समाजवाद" शब्द का जोड़ा जाना एक अच्छी बात है । परन्तु प्रस्तावना में केवल कुछ शब्द जोड़ने से ही वर्तमान आर्थिक और सामाजिक ढ़ांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । इससे देश में प्रशासनिक ढ़ांचे में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा । अत: हमारा यह सुझाव है कि यदि सम्भव हो तो कम से कम निदेशक तत्वों में कुछ ठोस बातें जोड़ी जानी चाहियें ताकि समाजवाद 'शब्द' की परिभाषा हो सके क्योंकि कई लोगों ने इस शब्द का दुरुपयोग किया है । अत: कम से कम

निदेशक तत्वों में एक उपयुक्त अतिरिक्त अनुच्छेद जोड़ा जाना चाहिये ताकि जिस समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं उसकी रुपरेखा बनाई जा सके।

जब यह मान लिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में यदि सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को छुआ नहीं जाता तो यह परस्पर विरोधी बात होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे देश में सम्पत्ति के अधिकार कीं मौलिक अधिकार क्यों रखा जा रहा है। पंडित नेहरू भी चाहते थे कि सम्पत्ति के अधिकार का स्वरूप सीमित होना चाहिये। निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार बहुत से संविधानों में शामिल किया गया है। परन्तु किसी व्यक्ति की समूची सम्पत्ति, जिसमें बड़े-बड़े पूंजीपत्तियों और जमींदारों की सम्पत्ति भी शामिल है, कैसे शामिल की जा सकती है जबकि प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारा उद्देश्य एक समाजवादी समाज या समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना है। यह विरोधाभास है और इसलिये मौलिक अधिकारों सम्बन्धी इस अध्याय को कम से कम इस प्रकार की सम्पत्ति के अधिकार से बाहर रखा जाना चाहिये। 'धर्म निरपेक्ष' शब्द का शामिल किया जाना भी स्वागत योग्य है। जब सरकार स्वयं 'धर्म निरपेक्ष' शब्द को जोड़ना चाहती है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे लोकतंत्र का धर्म निरपेक्ष वाले पहलू को मजबूत किया जाये; नहीं तो इस शब्द को यहां शामिल करना बेकार सिद्ध होगा। मंत्री महोदय इसके पीछे उद्देश्य को स्पष्ट करें। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जाना चाहिये जिससे विभिन्न जातियों और धर्मों, विशेषकर अल्प-संख्यक समुदाय के लोगों को फिर से विश्वास प्राप्त हो सक और उन्हें इस बारे में आश्वासन दिया जा सके।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों सम्बन्धी खण्ड एक अवांछनीय खण्ड है। इस तथ्य के अलावा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इसका उल्लेख नहीं है, हम महसूस करते हैं कि यह अनावश्यक है। 'गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम' कई वर्षों से विद्यमान है। अतः हमारे संविधान में इस प्रकार के खण्ड को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उप-खण्ड (चार) पास कर दिया जाता है तो इसका उपयोग हड़तालों को दबाने और जायज़ कार्मिक संघ गतिविधियों को दबाने के लिये किया जायेगा। इसे यहां इस रूप में नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि इससे नौकरशाहों और अधिकारियों को सामान्य कार्मिक संघ गतिविधियों को दबाने का साधन मिल जायेगा। अतः सरकार इस बात पर पुनर्विचार करे और इसे शामिल न करे।

निदेशक तत्वों में दो खण्डों का शामिल किया जाना स्वागत योग्य है। इनमें से एक खण्ड आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने और दूसरा उद्योग के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के बारे में है। ये दोनों खण्ड अच्छे हैं।

निदेशक तत्वों में एक और खण्ड भी जोड़ा जाना चाहिये। जैसे उद्योग के प्रबन्ध में कर्मचारियों को शामिल किये जाने के अधिकार को स्वीकार किया गया है, वैसे विवादों को सामूहिक सौदेबाजी से हल करने के उनके अधिकार को भी निदेशक तत्वों में रखा जाना चाहिये। इस समय इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी नियोजक को अपने कर्मचारियों के कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों से सामूहिक सौदेबाजी करने के लिये मजबूर करे। अतः इसे कम से कम निदेशक तत्वों में तो शामिल किया ही जाना चाहिये ताकि भविष्य में हम इस बात पर विचार कर सकें कि क्या इस सम्बन्ध में कोई उचित कानून बनाया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार यहां पर रखा जाना चाहिये।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मेरा यह भी सुझाव है कि निदेशक तत्व के रूप में इस देश के नवयुवक को संस्कृति और खेलकूद में शामिल किये जाने सम्बन्धी उसके अधिकार को शामिल किया जाये । माननीय अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में एक समिति भी नियुक्त की है । देश के युवा वर्ग को शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद में भाग लेना चाहिए ताकि विश्व की नज़रों में भारत का स्थान ऊंचा हो सके ।

जहां तक मौलिक कर्त्तव्यों का सम्बन्ध है, पहले तो इनका पालन न करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया गया था परन्तु अब प्रावधान समाप्त कर दिया गया है । मैं इस बात से सहमत हूं कि लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाए ।

जहां तक अनुच्छेद 226 का सम्बन्ध है, यदि सम्पत्ति का अधिकार संविधान में बना रहने दिया गया तो निहित स्वार्थों को ही लाभ होगा । अनुच्छेद 226 में जिस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुच्छेद 226 से लोगों को राहत मिली है परन्तु साथ ही निहित स्वार्थों ने इसका दुरुपयोग किया है । समृद्ध वर्ग तो धन के बल पर सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं परन्तु निर्धन व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता । इसलिए विधि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस पहलू पर गहराई से विचार करें कि नौकरशाहों द्वारा मनमाने और अनुचित आदेशों के विरुद्ध व्यक्ति विशेष को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जा सकती है । कुछ व्यवस्था की भी गई है, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है । चूंकि हमारा उद्देश्य सामजिक आर्थिक सुधारों के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को रोकना है, इसलिये हमें आम लोगों को उनके वैध अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए ।

कार्यपालिका और न्यायपालिका का संघर्ष कुछ समय से चल रहा है । कुछ ऐसे खंड रखे गए है कि यदि उन्हें पास कर दिया जाए तो सरकार के पास इतनी शक्ति केन्द्रित हो जायेगी जिससे न्यायपालिका कमजोर पड़ जाएगी । इसका विरोध किया गया है हम भी ऐसा नहीं चाहते । हम यह भी नहीं चाहते कि संसद के अधिकारों के मूल्य पर कार्यपालिका को सुदृढ़ किया जाये । अब तक संविधान में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी सदस्य की अनर्हता का मामला आता है तो संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधान सभाओं के संदर्भ में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर अपना निर्णय ले सकता है और उसका निर्णय अन्तिम मान जाएगा । अब इस प्रावधान को समाप्त किया जा रहा है । इसके बदले में अब यह व्यवस्था की जा रही है कि सदन के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी । इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार जिसे चाहेगी उसे समिति का सदस्य बना देगी ।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य को गलतफहमी हुई है । समिति गठित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह केवल राष्ट्रपति के हाथ में छोड़ दिया गया है और भी बुरा है । संसदीय कार्य मंत्री का कहना हैं कि अविलम्बनीय तथा तत्काल मामलों को निपटाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है । सदस्य की अनर्हता अथवा संसद की गणपूर्ति सम्बन्धी विषय क्या अविलम्बनीय हैं ? क्या इन पर बाद में विचार नहीं किया जा सकता था ?

जहां तक न्यायाधिकरणों का सम्बन्ध है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। यदि ये न्यायाधिकरण ठीक ढंग से कार्य करें तो काम शीघ्र और समुचित ढंग से हो सकता हैं। सेवा न्यायधिकरणों अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में, जो सरकारी कर्मचारियों अथवा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के मामलों को निपटायेंगे, कर्मचारियों की आस्था होनी चाहिए। यदि इन न्यायाधिकरणों में तथाकथित न्यायिक व्यक्तियो को ही रखा जाएगा तो सुधार कहां हुआ ? अतः इन न्यायाधिकरणों के गठन के बारे में कुछ यहां बताया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ आश्वासन दिया जाए कि लोगों की इन न्यायाधिकरणों में आस्था होगी। इन न्यायाधिकरणों की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अनुच्छेद 311 (2) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उठे सभी विवादों अथवा मामलों को इन न्यायाधिकरणों को सौंपना चाहिए। इन न्यायाधिकरणों के गठन, उनकी शक्तियों तथा कार्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में व्यापक आशंकायें दूर हो सकें।

केन्द्रीय सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति का भी प्रश्न हैं। यह समझ नहीं आता कि सामाजिक आर्थिक सुधारों के साथ इनका क्या सम्बन्ध है। इस विधेयक की आड़ में ऐसी बातों को आश्रय नहीं देना चाहिए। हम इसका विरोध करते है। इससे केन्द्र और राज्य के बीच कुछ अस्वस्थ परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी। साथ ही लोक सभा की अवधि 5 वर्ष से बढाकर 6 वर्ष करने वाले संशोधन का भी प्रश्न है। इसके पीछे क्या औचित्य है। इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। ये सब बातें उन ऊंचे आदर्शों और सिद्धातों के अनुरूप नहीं हैं जिन के आधार पर इस विधेयक द्वारा हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। यह भी समझ नहीं आता कि खण्ड 59 अभी आवश्यक क्यों बन गया है। इन सब विषयों के मामले में सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं। यह सब तत्काल और शीघ्र आवश्यक नहीं हैं। देश में अभी आपातस्थिति लागू है। सरकार इन सब बातों को यहां क्यों रखना चाहती हैं? जो प्रस्ताव घोषित लक्ष्यो और उद्देश्यों के अनरूप है उनका स्वागत है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं। जो कि कार्यपालिका की शक्तियों को मजबूत करती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल असगत है और इस विधेयक के अनुरूप नहीं है।

हमें केवल उन्हीं खण्डों को पास करना चाहिए जो कि वास्तव में इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप हैं तथा उसे पूरा करते है। फिलहाल उन सभी खण्डों को वापिस ले लिया जाना चाहिए जिनकी आवश्यकता नहीं हैं। इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध है जो स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के अंग कभी नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ सिफारिशें पेश की जिन पर सारे देश में चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद कुछ और खण्ड जोड़ दिए गए जिन्हें स्वर्ण सिंह समिति ने कभी प्रायोजित नहीं किया। हम इनका समर्थन नहीं करते? हमें उनका विरोधी करना होगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इसके विपक्ष में मत देंगे। जहां तक विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध हैं, हम उनका समर्थन करते है।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : भारत में तथा सदन में हो रही चर्चा के दौरान संविधान सभा के बारे में काफी बातें कहीं गई हैं। इस सदन में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके। वहां हैं जो कुछ हुआ था, उस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

संविधान सभा के सदस्य स्वतन्त्रता संग्राम के दौर से गुजरे थे। आजादी से पूर्व साम्राज्यवाद का जोर था और लोगों के अधिकारों पर अंकुश था। इसलिए सविधान सभा के सदस्यों का एक विशेष मनोविज्ञान बन गया था कि जिस तरह भी हो इन अधिकारों की रक्षा की जाए। अतएव उन्होंने

[श्री इन्द्रजीत यादव]

स्वतन्त्रता की व्याख्या करते समय उदारता से काम लिया। उन्होंने संविधान में अधिकारों का समावेश करते समय स्वतन्त्रता का अर्थ इसी उदारता से लिया और संविधान में अधिकाधिक अधिकारों का समावेश कर दिया। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें सरकार तथा संसद को यहां भी सोचना पड़ा कि राष्ट्र के प्रति जनता का कर्तव्य क्या हैं। संसद में हमें संविधान सभा द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर नहीं चलना चाहिए। अधिकारों और कर्तव्यों में सन्तुलन स्थापित करना होगा।

संविधान सभा की दूसरी गलती यह थी कि उसने संविधान में इन अधिकारों के साथ-साथ अन्य अनेक मदों का समावेश भी कर दिया। विधि मंत्री ने ठीक ही कहा कि संविधान विधियों का विधान हैं, लेकिन इस संविधान में विधियों के विधान की बजाय विधियों की सख्या अधिक हैं। इसी कारण से संविधान में कई बार संशोधन करना पड़ा। इस गलती को दोहराया नहीं जाना चाहिए।

अब संविधान में संशोधन किए जा रहे है। हो सकता है कोई अन्य संसद भी बाद में इसमें और संशोधन करे। इस बारे में कोई अन्तिम बात नहीं कहा जा सकता। हमें ऐसे उपाय करने हैं जो समय के अनुरूप हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए विधि मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिए कि वथा वह संविधान को विधियों का विधान मानते हुए कहीं इस वर्ग में कोई और कानून तो नहीं जोड़ रहे है जो कि उनके अपने विचार में ही असंगत बात हैं।

आज लोग संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने के अधिकार को चुनौती देते हैं। लेकिन जब संविधान सभा में अनुच्छेद 368 पर विचार विमर्श हो रहा था। तब किसी ने भी इन अधिकारों कारों के बारे में आपत्ति प्रकट नहीं की थी। हमारा विचार है कि संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। जब संविधान बनाया गया था, ठीक उसके बाद ही इसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता इस बात की है कि हम संविधान को समय की आवश्यकता के अनुरूप बनाएं।

फिर, संविधान सभा ने बहुदलीय प्रजातांत्रिक प्रणाली की बात कही थी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक आधार पर लोगों को संगठित होने की स्वतंत्रता उस हद तक दी जानी चाहिए जिस हद तक वह राष्ट्रीय एकता अथवा देश के कल्याण के विरुद्ध न जाता हो। यदि प्रजातंत्र को कानूनी ढंग से पूरी तरह चलाना हैं तो हमें लोगों को पूरे अधिकार देने होंगे और उन्हें अधिकारों से इस प्रकार वंचित नहीं करना होगा कि उन्हें यह महसूस होने लगे कि वह कानूनी तथा देश हित के लिए कार्य करने तक के लिए भी स्वतन्त्र नहीं हैं। यदि प्रतिपक्षी दलों द्वारा ऐसा रवैया अपनाया जाता तो उनकी स्वतन्त्रता कम करने वाले कानून न लाए जाते। इन लोगों ने प्रजातंत्र की सार्थकता को समाप्त करना चाहा है। यही कारण है कि वे एक सशक्त विरोधी दल बनाने में समर्थ नहीं हो पाए।

यदि प्रतिपक्षी दल इस बात की दुहाई देता है कि वह हमसे, कांग्रेस दल से बेहतर लोकतंत्रवादी है तो उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए था। चर्चा में भाग लेने की बजाय यदि वे बाहर चले जाते हैं तो वे न्याय नहीं कर रहे।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें प्यार और स्नेह से लोगों को बदलना होगा। यदि प्रतिपक्षी दल देश विदेश में प्रचार करके कांग्रेस दल को नाराज करना चाहते है तो इससे लोगों के हृदयों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

यदि विरोधी पक्ष यह तर्क देता है कि वे कांग्रेस दल के सदस्यों की तुलना में अधिक लोकतंत्र प्रिय है, तो उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए था क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की जा रही है। चर्चा में भाग लेने और लोकतंत्री तरीकों के प्रति न्याय करने के बजाय यदि वे वाक-आउट करते है तो वे अपनी भूमिका ठीक नहीं निभा रहे है।

जहां तक न्यायपालिका का सम्बन्ध है, न्यायपालिका के समूचे गठन में मुकदमेबाजी क्षेत्र में नई विलक्षणता के कारण परिवर्तन हुआ हैं। सरकार हर एक चीज की देखभाल स्वयं नहीं कर सकती। अतः हमने न्यायपालिका के काम को या तो न्यायाधिकरण या अन्य विभिन्न प्राधिकारों को बांटने के लिए कार्यवाही की हैं।

न्यायपालिका, कार्यकारी और संसद् के बीच कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। संसद् सर्वोच्च है क्योंकि इसे नियुक्ति करने, बरखास्त करने और वेतन का भुगतान करने का अधिकार प्राप्त है। संसद् ने ही कार्यपालिका को बनाया है। यहां तक कि कितना भी शक्तिशाली प्रधान मंत्री जब संसद् में बहुमत खो देता हैं तो उसे पदच्युत होना पड़ता है। इसी कारण से मंत्रि-परिषद् में अविश्वास सम्बन्धी उपबन्ध किया गया है। अतः न तो कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका संसद् की बराबरी नहीं कर सकती। संसद् सर्वोच्च सत्ता है। मुझे खुशी है कि इस सच्चाई का स्वयं प्रधान मंत्री ने समर्थन किया है जब उन्होंने यह कहा कि हमें संसद् की प्रभुसत्ता पुनः स्थापित करनी है। मैं किसी नागरिक के कर्तव्यों सम्बन्धी उपबन्ध का स्वागत करता हूं और किसी भी व्यक्ति को सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाना चाहिए।

एक खण्ड द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई है कि केन्द्र सरकार अन्य राज्यों में पुलिस और सेना भेज सकती है। पश्चिम बंगाल में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों के कारण इस उपाय की आवश्यकता आन पड़ी है क्योंकि वहां सरकारी सम्पत्ति को काफी क्षति पहुंचाई गई थी। अतः कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिए तथा प्रगतिशील उत्पादन के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं।

जवाहरलाल नेहरू एक फ़ेबियन समाजवादी थे। फ़ेबियन समाजवादी का अर्थ समाजवाद की प्राप्ति धीरे धीरे प्राप्त करना है। लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री तेजी से समाजवाद लाना चाहती हैं। ये सभी विधान निर्धन व्यक्तियों की रक्षा हेतु बनाये जा रहे हैं। ताकि अमीर लोग अधिक अमीर न बन सकें और जहां तक सम्भव हो सके आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों में समानता हो।

कई लोगों ने संविधान में 'कर्तव्यों' के शामिल किये जाने पर आपत्ति उठाई है। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिये अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। आज यदि कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है तो वह निश्चय ही स्वागत योग्य है। कर्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ खण्ड अस्पष्ट हैं और पुनः दोहराये गये हैं। कर्तव्यों को संक्षिप्त और सुस्पष्ट बनाने के लिये उनमें थोड़ा हेर फ़ेर करने हेतु पुनः लिखना होगा।

[श्री के० हनुमन्तैया]

संविधान निर्माण के मामले में हमें सभा की वर्तमान प्रक्रिया से थोड़ा हट कर चलना होगा। उन सभी सदस्यों को जोकि किसी विशेष संशोधन में कुछ परिवर्तन कराना चाहते हैं अथवा किसी खण्ड का लोप कराना चाहते हैं अथवा उसमें कोई नई बात जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने विचार प्रकट करने का पूरा पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): विधि मंत्री ने कहा है कि इस मामले पर बाहर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है और विपक्ष के और अन्य विचार जनता के समक्ष पेश किये गये हैं। मैं इस मामले के बारे में उनसे सहमत नहीं हूं। स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के बारे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल वहीं दी गई है जहां कि विचार उस समिति के प्रतिवेदन के अनुकूल हैं। विपक्षी दलों को राष्ट्रीय वाद-विवाद के लिये समान सुविधाएं अथवा अवसर प्रदान नहीं किये गये हैं।

यह सच है कि गत दो सप्ताह से इस सम्बन्ध में कुछ प्रचार हुआ है। कुछ एक समाचार पत्रों ने विपक्षी दलों के सदस्यों के विचारों तथा सत्ताधारी दल के सदस्यों के विचारों का प्रचार किया है। यह सरकार ने अनुकम्पा की है, अधिकार नहीं दिया है।

संवैधानिक परिवर्तनों पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय समीक्षा समिति गठित की गई है जिसके सदस्य सर्वश्री छागला, सन्थानम, एच० वी० कामथ, शान्ति भूषण, डा० दस्तूर और मैं हूं तथा श्री कृष्ण कान्त उसके संयोजक है। समिति पिछले महीने एक बैठक और एक गोष्ठी का आयोजन करना चाहती थी। लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई। जहां कहीं अनुमति दी गई वहां बाद में बैठकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

मद्रास में आयोजित नागरिक स्वतंत्रता सम्मेलन में श्री के सन्थानम, श्री हैगडे, श्री गोविन्द स्वामीनाथन, भूतपूर्व महा अधिवक्ता तथा मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे। पांच पृष्ठ की एक रिपोर्ट तैयार करके प्रेस को भेजी गई थी। लेकिन सेंसर ने "प्रकाशनार्थ नहीं" घोषित करके इस सारी रिपोर्ट को ही काट दिया। मैंने अपने दल के पत्र "कजक्कुरल" में संविधान (44वां संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था लेकिन उसे प्रकाशित करने की अनुमति नहीं मिली।

श्री गोखले ने बम्बई में कहा था कि विपक्षी दलों को चाहिये कि वे जनता में अपने सन्देह प्रकट करने के स्थान पर सरकार से विचार-विमर्श करें। मैंने ऐसा करने का प्रयत्न किया लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं दी गई। बम्बई में एक बैठक हुई जिसमें श्री छागला ने भाषण दिया, श्री ताराकुंडे बोले और अन्य कई व्यक्तियों ने भी विचार प्रकट किये। इसका विवरण 'तुगलक' प्रक्रिया में प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी के कई समाचार पत्रों में भी उल्लेख किया गया। लेकिन बाद में उस बैठक की कार्यवाही को प्रकाशित नहीं करने दिया गया।

इसी प्रकार श्री के० संथानम ने संशोधन विधेयक पर विचार प्रकट किये। उन्होंने 100 समाचार पत्रों को उसका विवरण भेजा लेकिन एक समाचार पत्र को भी उसे प्रकाशित नहीं करने दिया गया।

आपको ध्यान होगा कि द्रमुक ने 24वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया था। अतः हम किसी प्रगतिवादी आर्थिक कार्यवाही के विरोधी नहीं हैं। परन्तु आपने कहा है कि हमने 1971 में जनता से विश्वासमत प्राप्त कर लिया था। तो आपने तुरन्त ही इन उपायों को क्यों नहीं किया? क्या आपने अनुमान लगा लिया था कि आपात स्थिति घोषित की जायेगी।

यह बात स्पष्ट है कि आप पिछले 5 वर्ष के दौरान किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर पाये हैं। जहां तक विश्वास मत प्राप्त करने का प्रश्न है तो आप यह कहें कि उसमें बहुत खर्च होता है। परन्तु निर्वाचनों पर भी तो बहुत व्यय होता है। आप उन्हें भी छोड़ दें लोकतांत्रिक पद्धति भी बहुत मंहगी पड़ती है। पर हम इसी पद्धति को क्यों पसन्द करते हैं ?

संसद सदैव ही जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। आपने लोक सभा की अवधि बढ़ा दी है, प्रैस का गला घोट दिया है, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। विपक्षी दलों को जनता की भावनाओं का पता लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, गोआ का उदाहरण हमारे सामने है। गोमांतक दल गोआ को महाराष्ट्र के साथ मिलाने के पक्ष में था। चुनाव में उसकी विजय हुई। लेकिन दो मास बाद जब उसी प्रश्न को लेकर मतसंग्रह हुआ तो जनता ने गोआ के पृथक अस्तित्व का समर्थन किया।

मैं यह नहीं कहता कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता लेकिन हमारे संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो सरकार को आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन लाने से रोकती है। यह तो केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ही होती है।

44वें संशोधन का विरोध मुख्यतया मैं इस लिए करता हूं क्योंकि इससे सरकार पर कोई पाबन्दी या उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। असीम शक्ति से जुल्म को बढ़ावा मिलता है। आप सरकार पर लगी कुछ पाबन्दियों को हटाना चाहते हैं। आप शक्ति का केन्द्रीकरण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप नवम् अनुसूची को लें। आप हर अधिनियम उसी के अन्तर्गत लाते जा रहे हैं। यहां तक कि आंसुका भी इसी अनुसूची के अन्तर्गत रख दिया गया है।

संसद सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च तो संविधान है, भारत की जनता है। इंगलैंड में भी संसद को जब सभी शक्तियां प्राप्त हो गयीं तो वहां कितनी गड़बड़ फैल गयी थी। संसद में सत्ताधारी दल का यह उद्देश्य हो गया कि विरोधी दल के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को संसद में चुन कर ना आने दिया जाये। यदि आप खण्ड 4 को पास कर देते हैं तो संविधान का समूचा भाग 3 ही निकाल दिया जायेगा और उसके अन्तर्गत मूलभूत अधिकार भी समाप्त हो जायेंगे।

केशवानन्द भारती मामले में संविधान के जिस आधारभूत ढांचे की बात आती है उसका तात्पर्य भी यह है कि संसद को असीम शक्ति प्राप्त नहीं। आप एक बार बहुमत में आ गये हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप तानाशाह बन जायें। संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ समूची शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं है। इस विधेयक को पास करने का अर्थ है कि हम आपात स्थिति को सदैव के लिए बनाये रख सकेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार विरोधी कार्यवाहियों को राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां न समझा जाये।

मैं इस विधेयक का प्रक्रिया तथा विषय वस्तु दोनों दृष्टियों से विरोध करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी): जैसे मैं देश के संवैधानिक विकास के इतिहास पर दृष्टि डालता हूं तो मैं देखता हूं कि साम्राज्यवादी सत्ता ने भारतीय जनता के संविधान निर्माण करने की क्षमता को चुनौती दी थी। तब यह श्री मोतीलाल नेहरू ही थे। जिनके नेतृत्व में हमारा पहला संविधान तैयार हुआ। स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमें संविधान प्राप्त हुआ। आज हम प्रधान मंत्री के नेतृत्व में आर्थिक प्रजातन्त्र के लिए संवैधानिक संशोधान कर रहे हैं।

संविधान की मौलिक संरचना के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया जा रहा है और आस्ट्रेलिया के संविधान का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में डा० अम्बेडकर ने कहा है 'विधान सभा ने इस संविधान के संशोधन के अधिकार से जनता को वंचित कर संविधान पर निश्चयात्मकता और अमोधत्व की सील लगा दी है'। कनाड़ा, अमरीका या आस्ट्रेलिया में है जहां असाधारण शर्तें पूरी करके संविधान में संशोधन किया जाता है, अपतु संविधान में संशोधन करने के लिए अधिक सरल प्रक्रिया की व्यवस्था है। अतः इस संदर्भ में आस्ट्रेलिया जैसे देशों का उल्लेख करना नितान्त असंगत है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दो में कहा था कि संविधान सभा या अन्य कोई संसद भावी पीढी पर प्रतिबन्ध नही लगा सकती। इसलिए संसद को असीमित शक्ति दी गई है और भावी पीढियों को अपनी नियती के बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

प्रथम संशोधन जो किया जा रहा है यह 'समाजवादी' शब्द अन्तः स्थापित करने के बारे में है। यह राजनीतिक परिवर्तन है। यह इस सदन में कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है।

संविधान सभा में भी श्री के० टी० शाह ने संशोधन प्रस्तुत किया था कि प्रस्तावना में "धर्म निरपेक्ष और समाजवादी" शब्द अन्तःस्थापित किया जाय। संविधान सभा के वाद विवादो से पता चलता है कि देश की नई स्वतंत्रता को समेकित करने सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अनेक शक्तियां हमारी इस स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही हैं। राज्य सरकारें और मुस्लिमलीग सहयोग नहीं दे रही हैं। इस समय हमारे नेता नहीं चाहते थे कि प्रतिक्रियावादियों और प्रगतिशील शक्तियों के बीच देश में नया मोर्चा बने।

ऐसी क्या बात है जो आज 'समाजवाद' शब्द लाने की आवश्यकता पड़ी है ? यह इसलिए आवश्यक समझा गया है कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इन शब्द को बिल्कुल भूल गया है। और उसने सदैव निहित स्वार्थी और वैयक्तिक अधिकारी के पक्ष में संविधान की व्याख्या की है। अतः अब वह समय आ गया है जबकि प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया जाये हमारा समाजवादी देश है। भविष्य में जब कभी हम किसी कानून की व्याख्या करें तो यह बात ध्यान में रखे कि समाज की भलाई और वैयक्तिक अधिकारों के बीच समाज की भलाई को ही अधिमान्यता दी जाये।"

नागरिकों के कुछ कर्तव्य होने चाहिएं ताकि वे अपने ऊपर नियंत्रण रख सकें। हम यह कार्य मौलिक अधिकार समाप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहें हैं कि हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जहां मौलिक अधिकारों पर कुछ व्यक्तियों का ही

कब्जा न हो, बल्कि देश की सम्पूर्ण जनता, इनसे लाभ उठा सके । देश के लाखों लोगों की आकांक्षा है कि वे भी इन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करें । सामुदायिक भलाई को ध्यान में रखे बिना ऐसा नहीं किया जा सकता । हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें सामाजिक भलाई को व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्व दिया जाये ।

हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों का विकास हो, परन्तु सरकारी क्षेत्र पर प्रति दिन हो रहे हमलों के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है ?

वर्तमान संशोधनों के अन्तर्गत निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की तुलना में अधिक ऊंचा स्थान दिया गया है । संविधान निर्माताओं का भी यही इरादा था कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक सिद्धांतों से अधिक महत्व दिया जाये क्योंकि निर्देशक सिद्धांत समाज के हितार्थ हैं और क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं । प्रस्तावित संशोधनों का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें निर्धन लोग, निर्धनता की रेखा से निम्न स्तर का जीवन बिताने वाले लोग यह महसूस कर सकें कि संविधान के तीसरे अध्याय में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से उन्हें क्या लाभ पहुंचे हैं । । न्याय-पालिका कदाचित प्रभावित नहीं होती । केवल इतना किया गया है कि संसद् में कुछ मामलों में न्यायाधिकारियों को न्यायाधिकार देने की शक्ति ले ली है । शीघ्र न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले पर निर्णय केवल तकनीकी वार्ता के आधार पर न हो यह आवश्यक था । तीसरे यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे भी अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं जो कि इस तरह के मामलों पर निर्णय कर सकें । प्रायः यह देखा गया है कि इन न्यायालयों में मामलों पर निर्णय सामाजिक न्याय की अपेक्षा एक पक्षीय ढंग से किया जाता है ।

संविधान का निर्माण करते समय यह कल्पना कर ली गई थी कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिये परिवर्तन करने पड़ेंगे । हमने इसी लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया है ।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरूतनी) : मुझे संविधान सभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था । भारत के संविधान को एक महान महाराष्ट्रवादी डा० अम्बेदकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और आज इस लघु संविधान को भी एक अन्य प्रसिद्ध महाराष्ट्रवादी द्वारा पेश किया गया है । महात्मा गांधी ने 1939 में कहा था कि हमें जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संविधान का निर्माण करना चाहिए ।

संविधान में संशोधन करने की बात कोई नई नहीं है । संविधान सभा के बहुत से सदस्यों का मत था कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए । उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में संसद् को बहुमत से संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए तब डा० अम्बेदकर ने कहा था कि मैं इस कार्य को यथा सम्भव आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं ।

वास्तव में 1971 और 1972 के चुनावों में हमें जनता का आदेश प्राप्त हुआ था । यह संशोधन वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रख कर किये जा रहे हैं । हम संविधान में संशोधन करने के लिए वचनबद्ध हैं ।

(श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए ।)

Shri Vasant Sathe in the Chair

आलोचक गण अपने को न्यायपालिका का संरक्षक प्रकट करते हैं । कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका की शक्ति घटाने की कार्यवाही नहीं की है । हमने उनको विभिन्न संवैधानिक मामलों पर विचार करने को कहा परन्तु न्यायपालिका आकांक्षाओं को पूरा न कर पाई । अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतन्त्रताओं का उल्लेख है । उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परन्तु क्या कोई व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हत्या और हिंसा को उकसाने वाली बातें सम्मिलित की जा सकती हैं ? न्यायालयों का कर्त्तव्य था वे स्पष्ट कर देते कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में हत्या और हिंसा का प्रचार नहीं किया जा सकता । परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया । जमीनदारी उन्मूलन कानून बनाने के लिए हम वचनबद्ध थे । पंडित जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ही किसानों को इस बारे में आश्वासन दिया था । उन वचनों का पालन करते हुए जमीनदारी उन्मूलन् के कानून बनाये गये। परन्तु उन कानूनों को रद्द कर दिया गया । न्यायालय उन कानूनो को संविधान के अन्तर्गत सम्मिलित न कर पाये । अतएव हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा ।

तमिलनाडु बहुत समय से पृथकतावादियों का घर बना रहा है । अभी तक भी वहां पृथकतावाद का प्रचार बन्द नहीं हुआ है और इसके लिये वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । 1972 के चुनाव के बाद ही वे राज्यों के पृथक् होने के अधिकार का समर्थन करते आये हैं । श्री करूणानिधि अपने को तमिलनाडु का 'मुजीबुर्रहमान' मानते थे ।

जनवरी, 1972 में द्रुमुक की बैठक में राज्यों की स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित किया गया था । उसमें राज्यों की स्वायत्तता के मामले को लेकर श्री करूणानिधि ने बताया कि मुजीब की स्वायत्तता की मांग ठुकराये जाने के कारण ही पाकिस्तान का बटवारा हुआ । अप्रैल 1973 में एक सम्मेलन में स्वतंत्र तमिलनाडु की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया ।

अभिप्राय यह है कि यदि हम राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों के विरूद्ध दृढ़ कार्यवाही नहीं करते तो यह बुराई बढ़ती जायेगी । इस प्रकार यह परिवर्तन शीघ्रता में नहीं किए जा रहे हैं ।

इन महत्वपूर्ण कारणों से यह संवैधानिक संशोधन अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। स्थिति यह बन गई थी कि मौलिक अधिकारों का महत्व बहुत बढ़ गया था तथा निदेशक सिद्धांत एक पवित्र आज्ञा का रूप ले कर रह गये थे । हमें प्रसन्नता है कि उक्त स्थिति में परिवर्तन लाया गया है । समाज के कमजोर वर्गों के हित में यह एक महत्वपूर्ण कदम है ।

कुछ लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मामले को बहुत तूल दिया है ।

जस्टिस छागला ने कहा था कि संविधान ने न्यायालय को असीम शक्ति दी है परन्तु वही शक्ति मांग करती है कि उसका उपयोग पर्याप्त बचाव से किया जाये । अनुच्छेद 51 की उप-धारा (ङ) को हटा दिया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : 1951 से अब तक संविधान में 43 बार संशोधन किया गया है। इस संसद् संविधान निर्माताओं में से कई जीवित थे और उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि संसद् सर्वोच्च है उसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें व्यवस्था है कि शक्तियों के वितरण के बारे में संशोधनों पर 50 प्रतिशत से अधिक राज्य विधान सभाओं का समर्थन प्राप्त हो। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में हुआ था।

जिन विषयों के नवम् अनुसूची में शामिल किया गया है वह न्यायपालिका की परिधि में नहीं आते। 1951 में 13 अधिनियमों को इस सूची में शामिल किया गया था। देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था में सुधार करने तथा उसे अधिक सशक्त बनाने के लिए ही ऐसे किया गया था। वर्ष 1964 में 17वां संशोधन प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत 43 अतिरिक्त अधिनियमों को भी नवम् अनुसूची में शामिल किया गया। इसी प्रकार संविधान के 24वें, 25वें तथा 26वें संशोधनों के माध्यम से यह स्पष्ट करवाने की चेष्टा की गई कि संसद् को संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। इसी प्रकार परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में कांग्रेस सरकार ने संविधान के 40 संशोधन कर दिये हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस सरकार जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा वह सदा ही समयानुसार संविधान में उचित संशोधन करती रही है। अन्यथा अब भी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह निर्णय कर लिया है कि देश में सामाजिक-आर्थिक सुधार लाने के लिए वह यह नहीं चाहती कि न्यायपालिका किसी प्रकार से उनके रास्ते में आये। इसी उद्देश्य के लिए अब संविधान का 44वां संशोधन प्रस्तुत किया गया है। संविधान संशोधनों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जा चुकी है। इसीलिए मैं अब इन संशोधनों का समर्थन कर रहा हूं।

विधि मंत्री ने ठीक ही कहा है कि संसद् सर्वोच्च है। इसलिए किसी प्रकार की संविधान सभा के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हमें यह संशोधन पारित कर यह साबित कर देना चाहिए कि संसद् की सत्ता सर्वोच्च है। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें मेरे परिवार नियोजन तथा सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में दिये गये संशोधनों पर उचित ध्यान देना चाहिए। सम्पत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार निदेशक सिद्धांतों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : विरोधी दलों द्वारा यह मांग की गई है कि संविधान संशोधनों के बारे में जनमत संग्रह किया जाना चाहिए। परन्तु विधि मंत्री तथा अन्य विधि विज्ञों द्वारा इस मांग का भरपूर खण्डन किया गया है। मैं भी इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारा मूल संविधान बनाते समय किसी प्रकार का जनमत संग्रह नहीं कराया गया था तो फिर भला इन संशोधनों के लिए संविधान सभा की क्या आवश्यकता है? वर्तमान संसद् का गठन तो व्यस्यक मताधिकार के आधार पर किया गया

था । अतः वह संविधान में संशोधन करने के लिए मूल संविधान सभा की तुलना में अधिक सक्षम है ।

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में प्रभुसत्ता किसके हाथ में रहती है ?

लोगों का कहना है कि वह प्रभुसत्ता न्यायपालिका, विधान मण्डल तथा कार्यपालिका में विभाजित है । किन्तु मेरी राय में प्रभुसत्ता का अर्थ एक शक्ति से है जिसका कि राष्ट्रीय महत्व के सभी मामलों में अन्तिम और निर्णायक कथन होता है ।

हमारे संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा परिप्रेक्ष्य को सामने रख कर किया गया था । उस समय देश में कुछ नरेश थे जो कि अपनी सम्पत्ति का बटवारा नहीं करना चाहते थे । वे सम्पत्ति पर एकाधिकार रखना चाहते थे । कुछ ऐसे लोग थे जो व्यापारी थे । कुछ वकील थे । कुछ सामन्तशाही लोग थे और कुछ अल्प संख्यक थे । इसलिए संविधान सभा ने जो मूल संविधान स्वीकार किया वह और कुछ नहीं अपितु समझौते का दस्तावेज है जो कि उस समय के लोगों के हितों तथा समय के अनुकूल था ।

अब प्रश्न यह है कि संविधान के गत 25 वर्षों के कार्यकरण के अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या अब इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है ? स्वयं प्रस्तावना में लोगों की वैचारिक आकांक्षाएं प्रतिष्ठापित हैं, जिसमें लोगों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया है । जब तक समाजवाद को लक्ष्य नहीं मान लिया जाता तब तक समतावादी समाज के आधार पर सामाजिक परिवर्तन करने की बात नहीं सोची जा सकती । यदि संविधान में यह लक्ष्य स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसे बिना किसी गलती के लोगों के समक्ष प्रस्तुत स्पष्ट करें । यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को स्पष्ट रूप से स्थान दिया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों तथा कुछ लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न सामने आता है । वाक् स्वतन्त्रता के नाम पर समाज विरोधी तत्व तथा गैर-कानूनी संगठन कुछ बातों का प्रचार कर रहे हैं । जिनका उद्देश्य देश में संसदीय लोकतन्त्र को समाप्त करना है अतः उचित यही है कि संविधान में एक ऐसा संशोधन हो कि संसद् ऐसे देश-विरोधी संगठनों पर रोक लगाने के लिए सक्षम हो ।

किसी राज्य में उस राज्य की अमुमति के बिना केन्द्रीय बलों को तैनात करने पर, जिसके लिए संविधान में उपबन्ध करने की बात की गई है, एक सदस्य ने आपत्ति की है । ऐसे देश में जहां कभी अकस्मात विखण्डनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जायें और वहां की पुलिस पर उस सरकार का निमंत्रण हो और उस राज्य की केन्द्रीय सरकार से न बनती हो तो ऐसी हालत में केन्द्रीय सरकार को उस राज्य में अपना पुलिस बल तैनात करने का अधिकार है । अन्यथा देश की एकता तथा अखण्डता को बनाए नहीं रखा जा सकता । अतः यह बहुत ही हितकारी उपबन्ध है ।

जहां तक न्यायाधिकरणों का सम्बन्ध है, यद्यपि आयकर न्यायाधिकरण, सेवा न्यायाधिकरण आदि ने अच्छा कार्य किया है । फिर भी प्रश्न यह है कि इन न्यायाधिकरणों का गठन किस तरह से होगा । इन न्यायाधिकरणों को किस ढंग से चलाया जाना जाहिए ताकि ये उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की भांति जनता का विश्वास जीत सकें ।

इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में किसी तरह की कोई अपील नहीं होगी और इन न्याय न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णयों का शुद्धिकरण केवल उच्चतम न्यायालय ही करेगा । चूंकि हमारे देश में अधिकांश जनता निर्धन है जिसकी उच्चतम न्यायालय तक पहुंच नहीं है इसलिए इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि यह हुआ कि गरीब लोगों की उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने के अधिकार से स्वतः ही वंचित करना । अतः इस दिशा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

इस संशोधन करने वाले विधेयक में कर्तव्यों को भी नियमित किया गया है । उदाहरण के लिए इसका उद्देश्य यह उपबन्ध करना है कि प्रत्येक नागरिक को उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जिससे हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष को प्रेरणा मिली है । सामाजिक और राजनीतिक शिकायतों को दूर करने के लिए कभी-कभी भूख हड़ताल द्वारा भी स्वतन्त्रता संघर्ष की प्रेरणा मिली है । किन्तु सरकार जानती है कि भूख हड़लात का सहारा लेकर किस तरह प्रशासन को तंग किया गया है । अतः कर्तव्यों वाले इस अध्याय पर पुनः विचार किया जाना चाहिए ।

जहां तक मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, निस्सन्देह ये महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश को उन्हें सम्मान देना चाहिए । मौलिक अधिकार पवित्र होते हैं, वे मूल्यवान होते हैं, किन्तु निदेशक सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । अतः निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों के बीच एक प्रकार का सामंजस्य पैदा किया जाना चाहिए । सत्ता तथा धन के केन्द्रीयकरण की प्रवृति भी समाप्त की जानी चाहिए ।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान करने के लिये बहुत जरूरी हैं । देश में हुई घटनाओं के कारण राष्ट्रवार तथा 'धर्म निरपेक्षता' जैसे शब्दों को संविधान में रखना जरूरी हो गया है ।

इस विधेयक के बारे में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि जेल में बंद संसद् सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते । यह आपत्ति केवल भावनात्मक ही है । किसी राष्ट्र के इतिहास में कालचक्र किसी व्यक्ति विशेष का इंतजार नहीं करता ।

पिछले आम चुनावों में कांग्रेस दल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि हम सत्ता में आये तो हम संविधान में कुछ परिवर्तन करेंगे और सत्ता में आने के बाद हम संविधान में संशोधन करते आये हैं । सभा के समक्ष यह पहला संविधान संशोधन विधेयक नहीं है ।

मैं कुछ सदस्यों की इस राय के विरुद्ध हूं कि एक संविधान सभा बनायी जाये या हमें इस सभा को संविधान सभा में बदल कर एक नया संविधान बना कर देश में कुछ आमूल परिवर्तन करने चाहियें । यह आवश्यक नहीं है । हमें अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है ।

[श्री पी० आर० शिनाय]

कुछ लोग प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द रखने के विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि किसी एक दल की नीति अन्य दलों पर नहीं थोपी जानी चाहिए जो कि समाजवाद में विश्वास करते हों या नहीं। यह कहना भी सर्वथा अनुचित है कि हम प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रखकर अन्य दलों पर समाजवादी विचारधारा लाद रहे हैं। हम इन तमाम वर्षों में समाजवाद के मार्ग का अनुसरण करते आये हैं और हम चाहते हैं कि हम कम से कम अगली पीढ़ी तक इस मार्ग से विचलित न हों। इसी कारण से हमने यह शब्द प्रस्तावना में रखा है।

निदेशक सिद्धान्तों के बारे में हमने देखना है कि क्या किसी मामले पर न्यायालय को कुछ कहना है या कोई विशेष विधान वास्तव में कुछ निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये है। मेरा विचार है कि अधिक सुविधाजनक यही होगा कि यह बात निर्णय के लिये न्यायालयों पर ही छोड़ दी जाये कि क्या हम सभा या किसी राज्य विधान सभा द्वारा पेश किया गया कोई विधान वास्तव में निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए है या नहीं। किन्तु इसका निर्णय सभा करती है।

यह शिकायत भी की गयी है कि हम राज्यों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण कर रहे हैं। शुरू से ही हमारा संविधान सब राज्यों के प्रति एकात्मक रहा है। मैं इस से बहुत खुश नहीं हूं। किन्तु बाद में जो घटनायें हुई हैं उन्हें ध्यान में रखते हुये और कुछ राज्यों ने जिस ढंग से व्यवहार किया है, उसे ध्यान में रखते हुये यह महसूस करता हूं कि राज्यो की स्वायत्तता कुछ हद तक समाप्त की जानी चाहिये। अतः यदि कुछेक विषय राज्य सूची से निकल कर समवर्ती सूची में लायें या केन्द्र आवश्यकता पड़ने पर किसी राज्य में सेना भेजने का अधिकार ले ले तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।

न्यायालय पूरे सम्मान के पात्र होने चाहियें। सर्वोच्च न्यायालय को वास्तव में सर्वोच्च ही मानना चाहिये। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह संसद् की प्रभुसत्ता के बारे में ही प्रश्न करने लगे। सर्वोच्च न्यायालय की भी कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक मामले की व्याख्या का कार्य न्यायालयों को सौंपना हमारी बुद्धिमत्ता ही होगी। दूसरी ओर नीति निर्धारण और प्रभुसत्ता के सभी मामले संसद् पर छोड़ना उच्चतम न्यायालय की बुद्धिमता होगी। मैंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं। इनका उद्देश्य विधेयक में कुछ त्रुटियों को हटाना है।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस संशोधन विधेयक को ठीक समय पर ही लाया गया है। आजादी के बाद हमने जनता की भावनायें और आकांक्षायें जगाई हैं और हमने उनको वचन दिया है कि हम उनके साथ सही व्यवहार करेंगे। अतः यह आवश्यक हो गया है कि हम ऐसा विधेयक लायें जिससे निदेशक सिद्धान्तो को लागू करने सम्बन्धी विधान के रास्ते में आने वाली बाधाओ और अवरोधों को समाप्त किया जा सके। हमने संविधान में 43 बार संशोधन किया है और अब यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि संसद् को संवैधानिक अधिकार नहीं हैं और केवल संविधान सभा ही संविधान में संशोधन कर सकती है। हमने 1971 में ही जनता से आदेश ले लिया था और सरकार आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार हैं।

जहां तक राजनैतिक पहलू का सम्बन्ध है इस पर अधिक बल दिया गया है यद्यपि सामाजिक, आर्थिक दर्शन भाग–4 में सन्निहित है। अब इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि जब तक, आर्थिक पहलू के वास्तविक महत्व नहीं देंगे और उसे कार्यान्वित नहीं करेंगे तथा जनता को मूलभूत

नहीं बनायेंगे तो 25 वर्ष में बना यह राजनैतिक प्रस्ताव मजबूत नहीं होगा। अत: यह संशोधन नितांत आवश्यक है। यह कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि निर्देशक सिद्धांत कार्यान्वित नहीं करने चाहिएं। अनुच्छेद 31 (ग) को पास करने से सम्पत्ति के अधिकार का कोई महत्व नहीं होगा यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि अधिकार मात्र हैं।

जहां तक प्रस्तावना का सम्बन्ध है, इसका शब्द विन्यास इतना सुन्दर है कि इसमें दो नए शब्द जोड़ने से यह और अधिक आकर्षक हो जायेगा। अत: प्रस्तावना में संशोधन करने पर कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि मौलिक अधिकार भाग–4 में सन्निहित निदेशक सिद्धांतों के अधीनस्थ हैं। जब कभी इन निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता पड़े तो मौलिक अधिकारों की तुलना में इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। न्यायिक समीक्षा संविधान संशोधन की संवैधानिकता पर विचार करने का अधिकार नहीं देती है। वह संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के निष्कर्ष मान कर अन्य कानूनों का परीक्षण कर सकती ह। हम सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियां या अधिकार नहीं ले रहे हैं। अब उच्च न्यायालयों के राज्य के कानूनों की वैधानिकता के प्रश्न की जांच करने का ही अधिकार दिया जा रहा है। हम नागरिक का वह अधिकार वापस ल रहे हैं जिससे वह केन्द्रीय विधान उच्च न्यायालय में नियम या विनियमन करने का प्रश्न उठा सकता हैं। अब यह अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया हैं।

उच्च न्यायालयों को भी यह अधिकार दिये जायें कि वे केन्द्रीय अधिनियमों के विरुद्ध शिकायतों को सुन सकें अन्यथा लोगों को बहुत कठिनाई हो जाएगी या ऐसा उपबन्ध किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय किसी आवेदन को स्वीकार कर उसे उच्चतम न्यायालय को भेज दे।

वास्तव में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है। यद्यपि कुछ मामले उनके क्षेत्राधिकार से निकाल लिए गये हैं फिर भी उनका क्षेत्राधिकार बढा ही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के मामले में आपने दो-तिहाई बहुमत का सिद्धान्त अपनाया है। मैं मानता हूं कि निर्णय स्पष्ट बहुमत से होना चाहिये। उसके लिये तो न्यायपीठ में न्यायाधीशों की संख्या बढा दी जानी चाहिये। न्यायालयों में ऐसे न्यायाधीश नियुक्त किये जायें जिनके बारे में पता हो।

अनुच्छेद 74 का संशोधन कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी पर्याप्त आलोचना की जाये। राष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रमुख हैं ही। अब यह बात और साफ हो गई है।

न्यायालय की शक्ति समाप्त नहीं की जा रही। कि केवल इतना ही है कि उच्चतम न्यायालय तीसरी सभा (चेम्बर) के रूप में नहीं होना चाहिये। संवैधानिक मामलों में संसद् और हम लोग सर्वोच्च हैं। बाकी मामलों में न्यायालय में विचार किया जा सकता है।

खण्ड 59 की भी कोई आलोचना नहीं की जानी चाहिये क्योंकि मूल संविधान के अनुच्छेद 392 में भी यह सब निहित है।

संविधान का संशोधन करते समय राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिये कि निदेशक सिद्धान्तों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाये। हमें महात्मा गांधी का पूर्ण स्वराज्य लाने का

[श्री जगन्नाथ राव]

प्रयत्न करना चाहिये जिससे राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो सके। इस दिशा में 20-सूत्री कार्यक्रम एक अच्छा आरम्भ है। हमारा समाजवाद हमारी आवश्यकताओं के अनुसार है। हमारा संविधान विश्व के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। विश्व की सभी राजनीतिक पद्धतियों का इसमें निचोड़ है।

Shri K.N. 'Madhukar' (Kesaria) : Sir, I welcome this measure. The political climate and the situation created earlier inspired the people to ask the Government to bring forward this Amendment Bill.

But to day certain elements are there who want to block the passage of this Bill on one pretext or the other. It is a matter of great satisfaction that the Prime Minister has stated that the Parliament is supreme and is fully empowered to amend the Constitution. People welcome socialism and secularism, but the aforesaid forces intend to reverse the trend of socialism that was set in since the Bank Nationalisation in 1969. Government should be cautious of such forces and all the progressive elements should endeavour to get this legislation passed in this very session.

There has been long standing discussion on the name and form of socialism. But we cannot set aside the scientific interpretation of socialism. We can deviate from the accepted path a bit according to our needs but the basic elements of socialism should remain intact, steps should be taken to define more clearly the definition of socialism.

In this Bill it should also be made clear as to which party is national or which is anti-national as also the national programmes. There cannot be two opinions about the integrity of the country to be preserved at every cost. But we must clearly define the term nationalism. It should be clearly demarcated as to which is a national or anti-national activity. We are afraid that officials may not misuse this provision. The Prime Minister or the Law Minister should remove apprehensions in this regard. We should honestly follow the path of socialism, secularism and democracy, only then we can make progress.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मेरा विचार है कि मूल अधिकारों में से केवल सम्पत्ति के अधिकार को हटाने से कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। जब तक नागरिकों के सम्पत्ति अधिकार को हटा कर उनके स्थान पर काम का अधिकार और जीवन निर्वाह का अधिकार प्रतिस्थापित नहीं किया जाता तब तक हमारा समाजवादी गणतंत्र अधूरा रहेगा।

यदि काम का अधिकार और जीवन निर्वाह का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किये जाते हैं तो उन लोगों के मन से, जिन्हें भूमि सुधार के कारण सम्पत्ति प्राप्त हुई है और हमारी जनसंख्या के 80 प्रतिशत लोगों के दिमाग से यह भय दूर हो जायेगा कि हमारा देश एक साम्यवादी देश से भिन्न नहीं है। इस परिवर्तन के लिये अभी बिलम्ब नहीं हुआ है। करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि इस कार्य का उद्देश्य वांछनीय परिवर्तन लाना है।

जहां तक 'समाजवादी गणतंत्र' नाम रखे जाने का सम्बन्ध है, लगता है कि हमने इसमें सामाजिक तत्व का समावेश किया है। निदेशक सिद्धान्तों में कुछ स्वागत योग्य परिवर्तन किये गये हैं। अनुच्छेद 19 (1) के अन्तर्गत अधिकारों को कम किया जाना उपयुक्त है।

इस संशोधन विधेयक में 59 खण्ड हैं जिनके द्वारा कतिपय मूल बातों पर प्रभाव पड़ता है। अतः इस पर और गहन तथा विस्तार से विचार किये जाने की आवश्यकता है। अतः मेरा सुझाव यह है कि इसे एक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये। उसे कहा जाये कि वह एक निर्धारित अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इससे विरोधी पक्ष को भी यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि इस विधेयक पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]

Shri Ishaque Sambhali in the Chair

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और उसके लिये विधि मंत्री को धन्यवाद देता हूं। देश में जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाये जाने हैं उन्हीं से सम्बन्धित उपबन्धों का इसमें समावेश किया गया है। इससे हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने काफी हद तक साकार हो जायेंगे।

यह केवल एक दल विशेष का विधेयक नहीं है। बल्कि इसमें देश की जनता के विचार और आकांक्षायें प्रतिबिम्बित होती हैं। संविधान एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। जनता के प्रतिनिधि जनता की राय को अधिक अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। अतः यह संसद् उन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को, जिनके बारे में हम वचन बद्ध हैं, लाने में सक्षम हैं। 1971 में चुनावों के समय हमने इन परिवर्तनों द्वारा जनता के सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने की बात कही थी।

विपक्षी दलो द्वारा इस विधेयक की जो आलोचना की जा रही है वह काफी हद तक राष्ट्र विरोधी है। आपात स्थिति लागू होने से पहले भी वे लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हुये थे। अब वही लोग हमें लोकतंत्र बचाने का मार्ग दिखलाना चाहते हैं।

मेरे विचारों में हमने एक बड़ी भारी भूल की है कि 1950 में संविधान का निर्माण करते समय हमने राष्ट्र-विरोधी और देश-विरोधी गतिविधियों की व्याख्या नहीं की। अब हमने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संविधान में शामिल कर लिया है तो उसका स्वागत होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा उपबन्ध करने से देश की जनता का हौसला बढ़ेगा।

मैं विधेयक के बहुत से उपबन्धों का स्वागत करता हूं। पर कार्मिक संघ गतिविधियों के बारे में यदि विधि मंत्री और स्पष्ट कर दें तो अधिक अच्छा होगा। यदि देश में दक्षिणपंथी प्रतिगामी शक्तियों के षड़यंत्रों की एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष जांच करायी जायें तो पता चलेगा कि न्यास, संघ अथवा ग्रुप के नाम पर काफी विदेशी मुद्रा संसाधन देश में आये और लोकतंत्र के कार्यकरण पर उन्होंने काफी प्रभाव डाला है।

श्रमिक संगठनों पर सन्देह करने की बजाय आपको विदेशी एजेंटों और साम्राज्यवादियों पर सन्देह करना चाहिये।

मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करके सरकार ने ठीक किया है। भावी पीढ़ी के निर्माण एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा तक में बहुत से ऐसे अधिकारी कार्यकर रहे हैं जिन्हें राजा राम मोहन राय का भी नाम नहीं मालूम तथा जिन्हें यह भी नहीं पता कि महात्मा गांधी की दाण्डी मार्च क्या थी राष्ट्रीय गौरव के ज्ञान के बिना कोई राष्ट्र अपनी सामाजिक उन्नति नहीं कर सकता।

मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री अपने समापन भाषण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवतावाद जिज्ञासा तथा सुधार की भावना स्पष्ट करें। विभिन्न संगठन अलग-अलग ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं अतः यदि मूलभूत कर्तव्यों से सम्बन्धित अध्याय के उपबन्धों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, तो इसके बारे में भ्रम पैदा हो जाएगा।

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

देश के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कई बार हमारे राष्ट्रीय जीवन, प्रगतिवादी विधियों और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। लेकिन उच्च न्यायालयों ने फिर भी कभी-कभी उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा अधिक बुद्धिमता दिखाई है। अतः यह अनुभव करना ठीक नहीं है कि उच्च न्यायालय केन्द्रीय विधि के बारे में निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं।

यदि यह मान लिया जाये कि उच्च न्यायालय केन्द्रीय विधियों की व्याख्या नहीं कर सकते तो उनमें हीनता आ जाएगी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ही तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं। हमारे देश में यह बात नहीं चल सकती। जब गरीब लोग उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते तब वे दिल्ली आ कर उच्चतम न्यायालय में कैसे मामला दायर कर सकते हैं? धर्म-निरपेक्षता के हमारे सिद्धान्त के यह बात विपरीत है।

यति न्यायालय के कर्तव्यों में संशोधन किया जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सर्वरूपेण संसद् की प्रभुसत्ता का समर्थक हूं। यदि न्यायालय संसद् से अधिक शक्तियां चाहता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार संसद् को वर्ग संघर्ष में उतरना पड़ा। इसका अभिप्राय यह है कि एक निहित स्वार्थ वाला तत्व हमारा विरोध करना चाहता है। साधारण मामले भी न्यायालयों में बहुत समय तक पड़े रहते हैं। हमारे देश में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया कठिन है।

केवल संसद् द्वारा विधान बनाये जाने या प्रस्तावना के लुभावने शब्दों द्वारा समाजवाद नहीं लाया जा सकता। यह तो एक प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध रूप से ही विकसित की जा सकती है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के तथा अब श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि समाजवाद के आदर्श और देश में संसदीय प्रक्रिया को कैसे अक्षुण्ण रखा जाये। हम संसदीय लोकतंत्र को नहीं छोड़ सकते। कोई अन्य मार्ग देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय प्रधान मंत्री ने 1971 में जो शब्द कहे थे वे मुझे स्मरण हैं। यदि सरकार सम्पत्ति के अधिकार को नहीं बदलना चाहती तो यह अधिकार बनाये रखा जा सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ सीमायें निश्चित की जी सकती हैं जिसमें यह व्याख्या हो कि कौन कौन सी सम्पत्ति मूलभूत है और कौन-कौन सी मूलभूत नहीं है। और जनता के लिये क्या अनिवार्य है और क्या नहीं? अन्यथा देश में भ्रामकता फैल जाएगी या कोई विवाद उठ खड़े होंगे।

इस बात का विशेष रूप से उल्लेख है कि यदि सम्पत्ति की बर्बादी की जाती है तो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित किया जाएगा लेकिन यह बात कहां है कि प्राधिकारियों से पीड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? इस बारे में इसमें कोई स्पष्ट व्याख्या या परिभाषा नहीं है। मंत्री इस पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि भ्रमों को दूर करके इस विधेयक को पारित किया जाये। यदि हम वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन नहीं करते तो देश में संसदीय पद्धति की रक्षा नहीं की जा सकती।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshed pur) : I welcome the 44th Constitution Amendment Bill and congratulate the Government for bringing this measure at the right time.

Our Constitution was drafted by Dr. Rajendra Prasad, Pt. Jawahar Lal Nehru and Dr. Ambedkar. Shri Nehru declared that elections should be held on the basis of adult franchise.

Before 1970 the Supreme Court held invalid certain important legislations which were enacted by Parliament in the public interest. This created a very difficult situation. The Prime Minister then decided to go to the people to get a mandate. In the mid-term Lok Sabha Poll, the Congress Party was returned with a big majority. In the elections to the State Assemblies in 1972, the Congress Party again got a big majority. The Opposition had put Hurdles in the way of carrying out the mandate. Also, hurdles were created by courts in implementing socio-economic measures.

The demand for referring the Bill to a Joint Select Committee should not be accepted. There should be no delay in passing the present Bill. Under article 368, Parliament is fully empowered to amend the Constitution.

Education is of utmost important to the country. There is need to have a national policy on education. 'Education' should be included in the Concurrent List.

The Law Minister has rightly said in a television interview that the amending Bill is a safety valve just as a safety valve of a steam boiler needs periodic check up, similarly constitution needs a periodic scrutiny.

Military training is of great importance. It should be made compulsory. Also, the right to property should be restricted.

There should be a seven year term for Lok Sabha instead of the six year term proposed in the Bill. Ours is a vast country and it is difficult to meet the electorate in a sort span of five or six years.

Voting age should be reduced from 21 years to 18 years. The demand of Indian youth Federation and students Federation for reducing the voting age to 18 years should be accepted.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : इस विशेष सत्र में हम 44वें संविधान संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं। जब संविधान निर्माताओं ने 26–27 वर्ष पूर्व संविधान बनाया था उस समय की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक राजनीतिक स्थिति आज से सर्वथा भिन्न थी। उस समय हमारी राष्ट्रीय एकता निर्मित नहीं हुई थी। इसलिये संविधान एक प्रकार का समझौता था। उस समय श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हम आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांध नहीं सकते उन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति के पथ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज देश आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास कर रहा है। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों द्वारा आने वाली पीढ़ियों के विस्तार एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक संशोधनों का मूल्यांकन तथा समीक्षा करना उचित होगा। इस विधि द्वारा यही कार्य किया जा रहा सकते हैं।

मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों की भी परिभाषा दी गई है क्योंकि राजनीति का रहस्य ही यही है कि बिना कर्तव्यों के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यह एक स्वागत योग्य प्रावधान है।

अब 'प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतंत्री गणतंत्र' को 'प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी लोकतन्त्री गणतंत्र' बनाया जा रहा है। हमें अस्थिरता पैदा करने वाली विदेशी ताकतों तथा विभाजनकारी तत्वों का मुकाबला करना होगा। हमें भारत की स्थिरता और एकता को सुनिश्चित करना होगा।

Mr Speaker : Now we shall rise for the day. The House will meet again at 11-00 A.M. tomorrow.

इसके पश्चात् लोक सभा 26 अक्तूबर, 1976/4 कार्तिक, 1898 (शक) के ग्यारह बजे प० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, October 26, 1976/Kartika 4, 1898 (Saka)

म० प्र० म० स० मु० मि० रोड न० दि० एल० एस० III-2049 एल एस 11-11-76-200